पंचम माला, खंड 7, अंक 51 · 59 शनिवार, 31 जुलाई, 1971/9 श्रावण, 1893 (शक)
Fifth Series, Vol. VII, No 51 Saturday, July 31, 1971/Sravana 9, 1893 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

Preservation Unit
12-8-91
Fumigated
On 8-2-84
Parliament Library

दूसरा सत्र
Second Session

सत्यमेव जयते

खंड 7 में अंक 51 से 59 तक हैं
Vol. VII contains Nos. 51 to 59

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 51, शनिवार, 31 जुलाई, 1971/9 श्रावण, 1893 (शक)

No. 51, Saturday, July 31, 1971/Sravana 9, 1893 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
राज्य-सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	1
सभा का कार्य	Business of the House ...	1— 2
वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1971—	Finance (No. 2) Bill, 1971	
संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass, as amended ...	2— 8
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	2— 3
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	Shri T. V. Chandrashekharappa ...	3— 4
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ...	4— 5
श्री ज्योतिर्मय बसु	Shri Jyotirmoy Basu ...	5— 7
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Yeshwantrao Chavan	7
कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—	Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	8—14
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi ...	8— 9
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivanath Singh	9
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey ...	9—10
श्री एन० के० सिन्हा	Shri N. K. Sinha ...	10
श्री जी० विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan ...	10—11
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	11
श्री माधुर्य्य हालदर	Shri Madhuryya Halder ...	11—12
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo ...	12
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayan Rao ...	12
खण्ड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	14
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	14
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक—	Central Board of Direct Taxes (Validation of Proceedings) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	14—20
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ...	14—16
श्री डी० के० पंडा	Shri D. K. Panda	16
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder	17

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	17
श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder ...	17—18
श्री सुरेन्द्र महन्ती	Shri Surendra Mohanty	18
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	20
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	20
मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution re: Mysore State Electricity Board ...	21—24
श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा	Shri T. V. Chandrashekharappa ...	22—23
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	23
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Genesh	23
लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक—	Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Bill	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	24—30
श्री इन्द्रकुमार गुजराल	Shri I. K. Gujral ...	24—25
श्री वीरेन दत्त	Shri Biren Dutta ...	25
श्री के० एम० मधुकर	Shri K. M. Madhukar ...	26
श्री जे० एम० गौडर	Shri J. M. Gowder ...	26—27
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D. N. Tiwary ...	27
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade ...	27—28
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh	28
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan	28
खण्ड 2 से 20 और 1	Clauses 2 to 20 and 1	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass ...	30—35
अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी विधेयक—	International Airports Authority Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider ...	35—44
डा० कर्ण सिंह	Dr. Karan Singh ...	35—36
श्री दशरथ देव	Shri Dasaratha Dev	36
डा० कैलास	Dr. Kailas ...	37
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ...	37—38
श्री शशि भूषण	Shri Shashi Bhushan ...	38
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee ...	38—39
श्री एन० के० सिन्हा	Shri N. K. Sinha ...	39
डा० मेलकोटे	Dr. Melkote ...	39—40
श्री जदेजा	Shri Jadeja ...	40
श्री शिवनाथ सिंह	Shri Shivnath Singh ...	40—41
खण्ड 2 से 41 और 1—	Clauses 2 to 41 and 1—	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended ...	45—46

लोक सभा

LOK SABHA

शनिवार, 31 जुलाई, 1971/9 श्रावण, 1893 (शक)

Saturday, July 31, 1971/ 9, Sravana 1893 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

राज्य सभा से संदेश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त एक संदेश की सूचना देनी है कि लोक सभा द्वारा 21 जुलाई, 1971 को पारित किये गये विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1971 के संबंध में राज्य सभा को लेकर सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : मैं घोषणा करता हूँ कि सोमवार, 2 अगस्त, 1971 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह में सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :

(1) रेलवे अभिसमय समिति के गठन संबंधी संकल्प पर चर्चा।

(2) गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति विधेयक, 1971 राज्य सभा द्वारा पारित रूप में।

(3) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में।

(4) पंजाब राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन संबंधी संकल्प पर चर्चा ।

(5) पंजाब राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(6) भारतीय तार (संशोधन) विधेयक, 1971, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(7) संविधान (24 वां संशोधन) विधेयक, 1971 ।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : अनेक सदस्यों ने रूरकेला में रोलिंग मिल की छत गिरने के बारे में सूचना दी थी । इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में चर्चा हुई थी और हम इस पर चर्चा के लिए कुछ समय निकालेंगे ।

श्री पी० के० देव : मंत्री महोदय ने इसी रूप में लोकपाल और लोक आयुक्त विधेयक प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया था । मैं जानना चाहता हूँ कि इसे कब पुरःस्थापित किया जायेगा ।

श्री राज बहादुर : मुझे खेद है कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है ।

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Gwalior) : Mr. Speaker, we will like to know if the session is going to be extended beyond 12th August, 1971.

SHRI RAJ BAHADUR : We hope and believe that it will end on 12th August.

वित्त (संख्या 2) विधेयक 1971—जारी

FINANCE (No. 2) BILL, 1971—CONTD.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE (Gwalior) : I would like to refute the allegation that our 'Recognise 'Bangla Desh Demonstration' was motivated by communal consideration. Let this charge be proved. In fact if Bangla Desh is liberated, the communal problem would be solved for ever and the Kashmir issue, which has been pending for the last 24 years, would also be settled. We only wanted to awaken public conscience. But I want to draw the attention of Shri Chavan to the slogan, which was raised during a procession to the residence of the Prime Minister, that Golwalkar should be hanged. How far it was proper to raise such a slogan.

SHRI SHANKAR DAYAL SHARMA (Bhopal) : No such slogan was raised.

SHRI H. K. L. BHAGAT (East Delhi) : No such slogan was raised.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR) : May I submit that neither Government encourages such a slogan nor it is permissible to raise such a slogan.

SHRI ATAL BEHARI VAJPAYEE : Now I will refer to economic matters.

It is essential for the prosperity of the nation that an atmosphere congenial to the increase in production, equitable distribution is created, which may also induce the people to save a part of their earnings and to invest the same for the prosperity of the country. The dependence of the states on central loans should be done away with and the centre should issue a directive to the various states that they should meet their expenditure from their own resources. Central loans should be taken resort to in exceptional circumstances only.

Mere slogan of removing poverty will not bring socialism. We should ensure increase in production, equitable distribution and a habit of saving. The present system of taxation on commodities is faulty. There should be some line of demarcation between large scale and small scale industries. Relief should be given to small scale industries like solvent oil and nut & bolt industries. In regard to *ad valorem* excise duty on wool, some distinction should be made on fine quality and coarse wool.

Regarding the excise duty on pressure cookers, which are of immense convenience to bachelors, I will like to know when the hon. Minister is going to announce the relief. The hon. Minister should take bold steps to simplify the taxation system and to curb tax evasion.

I am afraid that there may be supplementary budget containing new taxes. Excise or customs duties should not be enhanced but if funds are required to meet the burden of Bangla Desh refugees, the countrymen will willingly accept a special levy specially to meet expenditure on refugees. But it should not be an excuse for turther taxation to indirectly meet the non-plan expenditure.

***श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा** (शिमोगा) : वित्त मंत्री महोदय द्वारा घोषित की गई कुछ रियायतों के कारण 1971-72 के बजट में घाटा बढ़कर 235 करोड़ रुपये हो गया है। इसके कारण मुद्रा स्फीति को रोकने के लिए सरकार को व्यय पर कड़ा नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन रखना चाहिए।

सरकार ने सरकारी उपक्रमों में 4000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, जिनसे लगभग 4 प्रतिशत मात्र की प्राप्ति हो रही है। इनके कार्यकरण की विस्तृत जाँच की जानी चाहिए, उन्हें सुव्यवस्थित किया जाना चाहिए और उनमें उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए।

लगभग 500 करोड़ रुपए आयकर के रूप में बकाया हैं। यदि इसमें से आधी राशि भी वसूल हो जाये, तो कोटा पूरा हो जाता है। इसे वसूल करने के लिए सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और इस मामले में ढील दिखाने वाले अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि गैर-योजना व्यय में बचत की जानी चाहिए। अपव्यय को

---

* कन्नड में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Kannada.

रोकना चाहिए ताकि विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध हो सके। मंत्रियों को आयातित कारें प्रयोग नहीं करनी चाहियें।

*** श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : चुनावों के दौरान प्रधान मंत्री से लेकर छोटे से छोटे कांग्रेस कार्यकर्त्ता ने जनता से आर्थिक असमानता दूर करने के नाम पर वोट माँगे थे और जनता ने भारी बहुमत से उन्हें लोक सभा में भेजा था।

परन्तु वित्त विधेयक के उपबन्धों को देखने से यह पता नहीं चलता कि सरकार अपने वचन पूरा करने जा रही है। वास्तव में वे सभा के मद में आ गये हैं और उनका दृष्टिकोण अकर्मण्यता का हो गया है।

हमारे देश में अमीर और अधिक अमीर होते जा रहे हैं। 1963 में बिड़ला का कुल विनियोजन 290 करोड़ रुपये था जो 1967-68 में बढ़कर 510 करोड़ रुपए हो गया। सरकार ने देश में एकाधिकार पूँजी की वृद्धि को रोकने के लिए क्या किया है ?

सरकार ने इसके विपरीत महात्मा गांधी की स्मृति को स्थायी बनाने के लिए 52 लाख रुपए देकर बिड़ला भवन लिया है। यदि बिड़ला को 52 लाख रुपए न दिये जाते तो क्या उनका दिवाला निकल जाता ? यदि सरकार इसी रास्ते पर चलती रही, तो देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने में पता नहीं कितने वर्ष लगेंगे। वित्त मंत्री ने जन-साधारण के प्रयोग की मैदा, मोटा कपड़ा आदि चीजों पर भी कर लगा दिया, जो उन्होंने सारे सदन के जोर देने पर वापस लिया। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि सरकार गरीब जनता की मूल समस्याओं की उपेक्षा करती रही तो उनकी सीमा का बाँध टूट जायेगा और वह विद्रोह कर उठेगी। इस देश की जनता ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर बाध्य कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने कुछ मामलों में तो अपने आपको अंग्रेज सरकार से भी बुरा साबित किया है।

सरकार विदेशों से बड़ी राशि के ऋण लेती है। क्या इन ऋणों को उचित रूप में खर्च किया जाता है ? इस सरकार को जनता ने भारी बहुमत दिया है, जिसके द्वारा यह संविधान तक का संशोधन कर सकती है। सरकार इस प्रकार जनता के कल्याण के लिए कोई भी कदम उठा सकने की स्थिति में है ? परन्तु यह सरकार तो राज्यों में विरोधी दलों की सरकारों को गिराने में लगी हुई है। मैसूर में राष्ट्रपति का शासन लागू कर दिया गया है। हमारे देश में लोकतंत्र है या केन्द्रीय एकतंत्र। राज्य सरकार को गिराने के बाद मध्यावधि चुनाव कराये जाते हैं, जिस पर लाखों रुपए खर्च होते हैं। जनता का धन और विदेशों से ऋण लिया गया धन इस प्रकार खर्च कर दिया जाता है। सरकार आग से खेल रही है और खुद एक दिन इसकी लपेट में आ जायेगी।

अंग्रेजों को भारत से गये हुए 24 वर्ष हो जाने तथा स्वतंत्रता को 24 वर्ष हो जाने के

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English Translation of speech delivered in Tamil.

बाद अब भी हम समाजवादी समाज की बात ही कर रहे हैं। क्या सरकार की कथनी और करनी एक है। लोगों ने प्रेशर कुकर इस्तेमाल करने शुरू किये और सरकार ने उस पर कर लगा दिया। सरकार ने इसे वापस लेने की सदस्यों की सर्वसम्मत माँग को स्वीकार नहीं किया है। क्या लोगों का जीवन-स्तर सुधारने का यही तरीका है ?

'प्रैशर कुकर' और 'वैक्यूम फ्लास्क' पर कर लगाया गया है। ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका प्रयोग अधिकतर कम आय वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। इस कर से कम ही राशि इकट्ठी होगी। यदि सरकार प्रशासनिक व्यय में मितव्ययता करने का प्रयत्न करे तो ऐसे कर आसानी से चले जा सकते हैं।

कर लगाए जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं परन्तु कर केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लगाए जाने चाहिए जो उनका भार वहन कर सकें। सरकार को गरीब लोगों की सहायता और पूँजी-पतियों और एकाधिकारियों पर अधिक कर लगाने चाहिए। केवल तभी उन्हें देश पर शासन करने का अधिकार है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : विदेशी ऋण के बारे में भिन्न भिन्न आँकड़े सुनने में आ रहे हैं। परन्तु यह बात स्पष्ट है कि प्रत्येक भारतीय 20 से 30 रुपये तक की विदेशी मुद्रा का ऋणी है। विदेशी ऋण से भारत की जनता बहुत दुःखी है। गतवर्ष हमने विदेशी आय का 42 प्रतिशत भाग विदेशी मुद्रा के ब्याज के रूप में दिया। यह राशि शत प्रतिशत तक बढ़ सकती है। हमें हर वर्ष 400 करोड़ से 500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है।

कम और अधिक बीजक बनाए जाने से भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है। कई चीजों का तो 150 गुणा अधिक बीजक बनाया जाता है। सरकार विदेशी एकाधिकारियों को नाखुश न करने के कारण इसकी रोकथाम के लिए कार्यवाही नहीं कर रही है। जब श्री मोरार जी देसाई वित्त मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि विभिन्न देशों में खोजी अभिकरण स्थापित किए जाने चाहिए परन्तु सरकार ने इस दिशा में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

राज्यों की वित्तीय स्थिति भी बहुत खराब है। हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड के 28 जुलाई, 1971 के अंक में लिखा है कि केन्द्र की ओर राज्यों का ऋण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहले राजकोष वर्ष में 62 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च, 1971 के अन्त में 6,342·59 करोड़ रुपये हो गया है। यदि राज्यों की यह दशा है और हमारे देश पर इतना विदेशी ऋण है तो इससे पता चलता है कि हमारी निष्ठा किस में है।

श्री वाजपेयी ने कहा है कि अतिरिक्त और अनुपूरक बजट जन-साधारण पर कर लगा कर पूरा किया जा सकता है। मैं श्री चह्वाण से पूछना चाहता हूँ कि जन-साधारण कहाँ है और उससे यह धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस देश में हर तीसरा व्यक्ति पूर्णतः अथवा अंशतः बेरोजगार है।

ऐसे व्यक्तियों की ओर, जिन्होंने शक्ति प्राप्त करने के लिए सत्तारूढ़ दल को काफी धन दिया है, कम से कम 841 करोड़ रुपये की आयकर की बकाया राशि है। भारत के नियंत्रक-

महालेखा-परीक्षक की 1969-70 की रिपोर्ट में बताया गया है कि आयकर की कुल बकाया राशि 960 करोड़ रुपये है जिसमें से 42 प्रतिशत बकाया राशि वैयक्तिक और निर्गमित आय पर लगाए गए आय कर की है। यदि सरकार को धन की आवश्यकता है तो उसे सबसे पहल निर्गमित क्षेत्र से प्राप्त करनी चाहिए। सरकार को आयकर पर छूट की राशि बढ़ानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसकी आय 700 रुपये प्रति मास हो मुश्किल से निर्वाह कर सकता है।

एक ओर तो हम समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी ओर हम बिड़ला के लिए कार के मूल्य में वृद्धि करने की वकालत करते हैं। सरकार वजीर सुल्तान टोबाको कम्पनी को निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन करने की अनुमति देना चाहती है क्योंकि वे चुनावों में बहुत चंदा देती है। यह कैसा समाजवाद है मेरी समझ में नहीं आता।

सरकार विमुद्रीकरण भी नहीं करेगी क्योंकि ऐसा करने से उसके दल को चुनावों के समय काला धन नहीं मिलेगा।

इस्पात की चादरों का नियंत्रित मूल्य 1200 रुपये प्रति टन है परन्तु काले बाजार में उनका मूल्य 3000 रुपये से 4500 रुपये प्रति टन है। इससे कमाया हुआ धन केवल उत्पादकों और बिचौलियों के पास ही नहीं चला जाता है उसका कुछ भाग यहाँ भी आता है। इसी प्रकार से मेरे पास पत्र आये हैं कि लुधियाना के ऊन के व्यापारियों से 40 लाख रुपये लिए गए थे। इन्हीं कारणों से निर्वाह व्यय दिन-प्रति दिन बढ़ रहा है।

आपके औद्योगिक नीति संकल्प में बताया गया था कि लोहा और इस्पात उद्योग सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए। आपने यह भी संकल्प किया था कि गैर-सरकारी क्षेत्र को उर्वरक लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। परन्तु अब आप उन्हें भूल गए हैं।

आप स्टेट बैंक के 60 लाख के स्कैंडल को ही देखिए। यदि ब्रिटेन में ऐसी घटना घटी होती तो सरकार को या तो सारी स्थिति स्पष्ट करने के लिए बाध्य किया जाता या उसे त्याग-पत्र देने के लिए बाध्य किया जाता। परन्तु हमारे यहाँ चह्वाण साहब ने प्रक्रिया संबंधी एक साधारण पत्र का उत्तर देने में 20 दिन लगा दिये थे। मैं श्री चह्वाण से कहूँगा कि वह इस बारे में स्पष्ट उत्तर दें कि बसुमति के मालिकों के परीक्षण, सुखाड़िया के मामले आदि के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बहुत है परन्तु योजना में उस-राज्य के लिए बहुत कम धन नियत किया गया है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल ने 1,23,000 टन इस्पात की माँग की थी परन्तु उसे केवल 14,530 टन इस्पात दिया गया।

एक ओर तो पुलिस का उपयोग भूखे लोगों और जन-साधारण को पीटने के लिए किया जाता है तथा दूसरी ओर पुलिस को भी दबाया जाता है। केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस के लोग कनाट सर्कस में विदेशियों को भी पीट देते हैं। कलकत्ता में पुलिस ने चन्द्रनगर स्थित एक कैंसर अस्पताल के कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया था जिस कारण अस्पताल को बन्द करना पड़ गया था। बाद में दबाव डाले जाने पर ही उन्हें रिहा किया गया। पुलिस के लगभग 15 व्यक्तियों

ने कलकत्ता के मुख्य अस्पताल में भी अवैध प्रवेश किया था और डाक्टरों को तंग किया था। पश्चिम बंगाल की यह स्थिति है। यदि सरकार वहाँ शक्ति में आना चाहती है तो उसे चुनावों के माध्यम से आने का प्रयत्न करना चाहिए न कि पुलिस की गोलियों के।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बंगला देश के मामले का उल्लेख किया। जहाँ तक इस मामले का संबंध है हमें इस पर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए न कि राजनीतिक दल को दृष्टिकोण में रखते हुए। जैसाकि उन्होंने कहा है शरणार्थियों पर होने वाले व्यय का उत्तरदायित्व बहुत अधिक है तथा इसके लिए देश को कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। इसके लिए पुनर्वास मंत्रालय को भी अनुपूरक माँगें लाने पड़ेंगी। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि हम अनुपूरक बजट ला रहे हैं। मैं ऐसी अफवाह फैलाना नहीं चाहता जिससे राष्ट्र विरोधी तत्व इसका लाभ उठा सकें। इस समस्या को हल करने के लिए हम मितव्ययता तथा बकाया राशि को वसूली आदि जैसे उपाय करेंगे। इस समस्या को हल करने के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। इस सरकार की आलोचना करने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि वह सदा जनता का ख्याल रखती है और चाहती है कि लोग जितनी प्रगति हो सके करें। हमने बजट में भी प्रभावयुक्त उपाय किए हैं। परन्तु हमारी कर प्रणाली ही ऐसी है कि हमें दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाना होता है। प्रत्यक्ष कर प्रणाली का आधार बहुत संकीर्ण है। हमें इसको बढ़ाना होगा तथा यह औद्योगिक और कृषि के उत्पादन में वृद्धि होने से ही हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर की कुछ मदों का मध्य वर्ग पर अवश्य कुछ प्रभाव पड़ता है जो उन्हें वहन करना ही पड़ता है।

मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि जहाँ तक संभव हो जन-साधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मदों पर कर न लगाया जाये परन्तु फिर भी कुछ मदें ऐसी रह गईं जिनपर कर लगाना जरूरी हो गया था।

माननीय सदस्यों की माँग को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रैशर कुकर पर कर 20 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है। इस संबंध में एक पृथक अधिसूचना जारी की जा रही है।

कम और अधिक बीजक बनाने की समस्या हल करने के लिए हम समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने जा रहे हैं। इससे यह समस्या काफी हम तक हल हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास हो।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided.

पक्ष में 82	**विपक्ष में** 34
Ayes 82	**Noes** 34

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adoped.

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 4 लेंगे।

कृषिक पुनर्वित्त निगम (संशोधन)-विधेयक, 1971

AGRICULTURAL REFINANCE CORPORATION (AMENDMENT) BILL, 1971

विचार करने का प्रस्ताव
Motion to Consider

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्रीमन, मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

कृषिक पुनर्वित्त निगम की स्थापना ऐसी अधिक लागत वाली बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के लिए, जिनके लिए 'एपेक्स' सहकारी और भू-बन्धक बैंकों जैसी एजेंसियों द्वारा धन जुटाया जाना सामान्यतः सम्भव नहीं था, मध्यम तथा दीर्घकालिक सहायता की व्यवस्था करने के लिए 1963 में की गई थी। इस पर आरम्भ में 25 करोड़ रुपये की अधिकृत पूँजी लगाई गयी थी जिसमें से 5 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, राज्य सहकारी बैंकों, केन्द्रीय भू-बन्धक बैंकों, कुछ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक तथा जीवन बीमा निगम द्वारा लगाये गये थे। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने निगम को आरम्भ में 5 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया था, जिसे 15 वर्षों के पश्चात् 15 समान किस्तों में लौटाया जाना था। निगम ने स्थानीय साधनों से अब तक 71·275 करोड़ रुपये (जिसमें बांड बेचकर इकट्ठे किये गये 19·525 करोड़ रुपये भी शामिल हैं) एकत्र किये हैं।

आरम्भ में निगम के कार्य में इतनी तेजी नहीं थी। जून,1967 तक निगम ने केवल 15 योजनाओं की मंजूरी दी थी। आगामी तीन वर्षों में इन योजनाओं की संख्या बढ़कर क्रमशः 128, 233 और 371 हो गई और 15 अक्तूबर, 1970 तक इनकी संख्या बढ़कर 400 हो गई। इस प्रकार निगम द्वारा वित्तपोषित योजनाओं पर परिव्यय में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई। 15 अक्तूबर, 1970 को 225·76 करोड़ रुपये की लागत वाली 193 योजनाएं निगम के विचाराधीन थीं जिनके लिए निगम ने 189·09 करोड़ रुपये जुटाने थे। गत तीन वर्षों में निगम ने क्रमशः 5·76 करोड़ रुपये, 17·84 करोड़ रुपये और 28·60 करोड़ रुपये वितरित किये थे। इससे अधिकांशतः छोटी सिंचाई योजनाएं लाभांवित हुई हैं। इनके अतिरिक्त निगम भूमि विकास, दुग्धशाला, मतस्य और कुक्कुट पालन उद्योग से संबंधित अन्य योजनाओं के लिए भी सहायता देता है। आशा है चौथी योजनावधि में निगम 200 करोड़ रुपये वितरित करेगा। निगम को अब अधिक धन की आवश्यकता है। अनुमान लगाया गया है कि 1970-71 में 50 करोड़ रुपये और 1971-72 में 76 करोड़ रुपए

आवश्यक होंगे। निगम बांड बेच कर इतना अधिक धन एकत्र नहीं कर सकता है। अत: यह वांछनीय समझा गया है कि रिजर्व बैंक को अनुमति दे दी जाये कि वह कृषिक पुनर्वित्त निगम को राष्ट्रीय कृषिक ऋण (दीर्घकालिक· प्रवर्तन) निधि में से ऋण दे दिया करे। यह प्रस्ताव अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति की सिफारिश पर आधारित है।

अत: कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 की धारा 20 और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया अधिनियम, 1934 की धारा 46 क (2) में संशोधन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम की धारा 2 क में एक स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है जिस में मत्स्यपालन की व्याख्या की जानी है और उसमें मत्स्यपालन उद्योग का विकास मछली पकड़ने और इससे संबंधित अथवा इससे आनुषंगिक कार्यवाहियों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिससे समुद्री मतस्यपालन से संबंधित योजनाओं के लिये पहले ही दी गई सहायता को विनियमित किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : I beg to move :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 20th October, 1971."

I welcome the Bill. At the same time, I feel that a more comprehensive Bill should have been brought forward, because the demands of the agriculturist have increased manifold and it will not be possible for the Corporation in its present form to meet all these demands. To-day, the farmers want to utilise new machinery, new techniques as well as other new agricultural inputs and in order to achieve this end, they are in need of more money. Besides minor irrigation facilities, they are also in need of marketing and warehousing facilities which the corporation in its present set up will not be able to provide to them. I have, therefore, moved that the Bill should be circulated for eliciting public opinion thereon so that the whole matter is reconsidered very carefully and the Corporation is so reorganised as to be able to make all these facilities available to the farmers.

About three years ago, a scheme had been formulated by the Corporation to give loans to farmers of Udaipur District in Rajasthan, but it is regretted that that scheme has not so far been implemented. The hon. Minister should see that loans are made available to the farmerrs there who are anxiously looking forward for them. Besides, the work of desert development in Rajasthan should also be taken over by this Corporation.

SHRI SARJOO PANDEY (Ghazipur) : Broadly speaking, I support the Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill, but as my hon. friend has just stated, more funds should be made available for the development of agriculture on which our country primarily depends. I have been to the German Democratic Republic where, I notice, totally a new direction has been given to the agriculture. But it is regretted that proper attention is not being paid to this sector in our country.

If we want to make any progress in agricultural sector, we will have to provide all'

necessary facilities to the farmers and in order to achieve this end, it is necessary that a more comprehensive Bill should be brought forward. If it is not possible to do so during the current session, it should be brought in the next session after thoroughly examining all the points.

At present, there is much bungling in the matter of advancing loans to the farmers. Only the rich and influential people get loans while the poor and small farmers are deprived of this facility. The result is that the small farmers have to borrow from these influential people. The Government should ensure that loans are made available to the farmers easily and this can be done only by plugging the loop-holes in the existing law.

SHRI NAVAL KISHORE SINHA (Muzaffarpur) : Sir, while I support the amending Bill, I oppose the motion to circulate the Bill for eliciting public opinion thereon. Because such a motion is generally brought forward, when one wants to shelve a Bill. There are some useful things for the farmers in the Bill and therefore, we should support it.

It is not clear from the original Act, whether horticulture is covered in the definition of agriculture. If it is covered, it is all right. But if it is not covered, the definition of 'agriculture' should be so changed that 'horticulture' is included in the definition given in the original Act.

It is true that the Reserve Bank and other banks charge an interest of two and a half percent on the loans advanced for agriculture. But when that money reaches the farmers, the rate of interest goes up to 9 to 10 percent which is on very high side. It is perhaps because of the excessive overhead expenditure and other things. The Government should see that the rate of interest does not exceed 6 per cent.

In view of the regional imbalances, the backward states in the eastern region should not be treated at par with the advanced states like Maharashtra, Punjab and Tamil Nadu in so far as terms of loans are concerned. For the backward states the rules in regard to the advances made to the farmers should be slightly lenient.

श्री जी० विश्वनाथन् (वान्डीवाश) : श्रीमन्, इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि इसके पारित होने पर कृषिक पुनर्वित्त निगम रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया के राष्ट्रीय कृषिक ऋण निधि में से उधार ले सकेगा। यह एक अच्छी बात है कि सरकार यह महसूस करती है कि इस निगम का अधिकार-क्षेत्र बढ़ रहा है और कृषि का विकास तथा खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने के मामले में इसे महत्वपूर्ण योगदान करना है।

यह निगम न केवल छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ही धन जुटाता है बल्कि सिंचाई योजनाओं के अलावा अन्य योजनाओं के लिए भी सहायता प्रदान करता है। पशुपालन तथा कुक्कट पालन उद्योग भी इसी निगम के क्षेत्राधिकार में आते हैं। यही नहीं, नारियल, अंगूर, केला आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिये धन से सहायता करना इस निगम का कर्त्तव्य है। इसके अतिरिक्त भू-संरक्षण की योजनाओं और भेड़ पालन उद्योग के लिए भी यह धन की व्यवस्था करता है। भेड़ पालन उद्योग के लिए मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तमिल नाडु पुनर्वित्त निगम ने एक लाख रुपये नियत किये हैं।

मत्स्यपालन की परिभाषा अधिक उदार बनाना भी इस विधेयक का उद्देश्य है। यह एक अच्छी बात है क्योंकि मत्स्यपालन उद्योग का विकास करने में काफी समय से उपेक्षापूर्ण रवैया

अपनाया जाता रहा है । सरकार को इस उद्योग का अधिक तेज़ी से विकास करना चाहिये जिससे हमारी खाद्य समस्या हल हो सके और लोगों को पोषक खाद्य भी प्राप्त हो सके ।

यह एक ऐसी संस्था है जो देश में खाद्य उत्पादन में वृद्धि करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकती है । अत: सरकार को चाहिये कि इसके लिए दिल खोल कर धन की व्यवस्था करे । अत: मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ ।

SHRI R. V. BADE (Khargaon) : I support the Agricultural Refinance Corporation (Amendment) Bill because it seeks to enable the Corporation to borrow from the National Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund of the Reserve Bank of India. It is, however, not known as to what use is being made of PL. 480 funds lying idle with the Reserve Bank of India. This money should be used for agricultural purposes. A provision to this effect should be made in the Bill.

The position in regard to repayment of long, medium and short term loans is not satisfactory. There has been an increase in the overdues as mentioned at page 215 of the Fourth Five Year Plan. Besides, credit money is not being properly utilised as has been referred to at page 88 of the report of the Comptroller and Auditor General for 1069-70 (Civil). The Government should look into this matter.

The different types of loans are not utilized properly. Government should pay attention to this. It is noticed that laws passed here and rules framed thereunder are not implemented. The schemes, that are formulated, are not implemented.

The report of the Reserve Bank of India shows that a large number of Cooperative Banks in various states have failed. It indicates that adequate credit facilities are not available. The result is that schemes are not implemented. The aim of this corporation is very good, but its working should be efficient.

श्री माधुर्य्य हालदर (मथुरापुर) : मैं कृषिक पुनर्वित्त निगम केबारे में कुछ क हना चाहता हूँ । इस निगम के निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ऋण सुविधाओं के बारे में ब्यौरा दिया गया है । इसमें उन किसानों की संख्या नहीं दी गई है जो इससे लाभान्वित हुए हैं या इससे कितने एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करायी गई हैं । यह सर्वविदित है हमारे देश में खेती वाले कुल क्षेत्र में से केवल 20 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है । यह कार्य तो सिंचाई मंत्रालय करता है । इस निगम के योगदान के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है ।

इन योजनाओं से छोटे किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है । कृषिक पुनर्वित्त निगम की योजनाओं से केवल बड़े-बड़े किसानों ने ही लाभ उठाया है । इस बारे में सुधार किया जाना चाहिये । 1961-62 में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि छोटे किसानों ने 65 प्रतिशत ऋण साहूकारों से ब्याज पर लिया है । उक्त सर्वेक्षण के बाद कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । इस बीच छोटे किसानों की स्थिति और बिगड़ी है ।

कृषिक पुनर्वित्त निगम ने पश्चिम बंगाल में बहुत कम राशि दी है । निगम द्वारा जून, 1970 तक विभिन्न राज्यों को दी गई राशियों से पता चलता है कि पश्चिम बंगाल की उपेक्षा की जा रही है । चौथी योजना में किये जाने वाले व्यय के लिए इस निगम को 200 करोड़ रुपये

नियत किये गए हैं। सरकार के पास जीवन बीमा निगम और राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में बहुत अधिक धन है। सरकार को छोटे किसानों की सहायता के लिए धन की व्यवस्था करनी चाहिये। इस प्रकार दिये जाने वाले ऋण पर बहुत कम ब्याज होना चाहिये।

हमारी जनता का लगभग 80 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर करता है। हमें इसके लिए कृषि पर आधारित उद्योग स्थापित करने चाहियें। निगम को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : इस विधेयक का उद्देश्य कृषिक पुनर्वित्त निगम को रिज़र्व बैंक से ऋण लेने के समर्थ बनाना है। यह निगम किसानों को व्यक्तिगत रूप से ऋण न देकर राज्यों को उनकी योजनाओं की कार्यान्विति के लिए ऋण देता है।

यह बात ठीक है कि कृषि के क्षेत्र में नये नये ढंग अपनाये जाने लगे हैं। परन्तु सबसे बड़ी कठिनाई पानी की कमी है। 1965 में उड़ीसा में बड़ा भयंकर सूखा पड़ा था। वहाँ पर की सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। निगम को इसके लिए सहायता देनी चाहिये। मुझे आशा है कि राज्य सरकारें इसका पूरा पूरा लाभ उठायेंगी। कृषिक पुनर्वित्त निगम के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति इस समय मेरे पास है। इससे पता चलता है कि उड़ीसा राज्य की उपेक्षा की जा रही है। मैं इसके लिये केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराता, परन्तु मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा में स्थिति में सुधार होना चाहिये। इस विधेयक द्वारा समुद्री-तट पर मछली पकड़ने को प्रोत्साहित करने की व्यवस्था है। उड़ीसा में इसका विकास किया जाना चाहिये। मुझे प्रसन्नता है कि निगम इसके लिए धन की व्यवस्था करेगा। अन्डमान निकोबार द्वीपसमूह में भी मछलियों के पकड़ने के कार्य में निगम सहायता देगा। मैं चाहता हूँ कि विभिन्न राज्यों को ऋण देते समय योजनाओं के गुणदोषों पर भी विचार किया जाना चाहिये। सिफारिशों से कार्य नहीं होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं ऋण दिये जाने के बारे में ही कुछ कहना चाहता हूँ। आजकल केवल धनी लोगों को ही धन मिल रहा है। वे लोग धन लेकर कृषि पर व्यय न करके अन्य प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग कर रहे हैं। यह एक गम्भीर मामला है। सरकार को इस ओर ध्यान देकर यह देखना चाहिये कि ऋण का दुरुपयोग न हो। ऋण की वसूली की व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये। भेड़ों के पालन के लिए भी सुविधाएँ उपलब्ध की जानी चाहिये।

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : इस विधेयक का उद्देश्य कृषि के लिए सुविधाएँ उपलब्ध कराना है। हम सब कृषि के विकास के पक्ष में हैं। मेरे विचार में इस सदन के तीन चौथाई सदस्य कृषि से सम्बद्ध हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमें इसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में किसी को भी मतभेद नहीं है।

इस संशोधन का उद्देश्य कृषि पुनर्वित्त निगम के संसाधनों को बढ़ाना है। यहाँ पर यह आरोप लगाया गया है कि बड़ी मात्रा में धन धनी लोगों को दिया जाता है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहती हूँ। निगम सीधे धन नहीं देता। यह राज्य सरकारों और सहकारी बैंकों आदि के माध्यम

से वितरण निमित्त धन देता है। यह सुनिश्चित करना कि ऋण वास्तविक आवश्यकता वाले और निर्धन किसानों को मिले, राज्य सरकारों का काम है। अतः निगम के बारे में यह गलत धारणा नहीं बनायी जानी चाहिये। यह भी कहा गया है कि निगम द्वारा दिये जाने वाले ऋणों पर बहुत अधिक ब्याज लिया जाता है। सरकार इस संबंध में हजारी समिति की सिफारिशों पर विचार कर रही है।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम कार्यवाही कर रहे हैं। हम विभिन्न क्षेत्रों के विकास में असंतुलन को समाप्त करना चाहते हैं और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं। इस बारे में राज्य सरकारों के साथ मशवरा किया जा रहा है। वार्षिक सम्मेलन बुलाकर समस्याओं के समाधान पर विचार किया जाता है। इस निगम द्वारा धन के नियतन के मामले में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है।

उड़ीसा सरकार से आठ योजनाएँ प्राप्त हुई हैं और वे विचाराधीन हैं। इसी तमिल नाडु की बात है। उस राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। जो भी न्यायसंगत माँग होती है, उसकी मंजूरी दे दी जाती है।

कुछ एक माननीय सदस्यों ने 'बागवानी' को 'कृषि' में शामिल करने को कहा है। ऐसा किया जा सकता है। इसमें कोई कानूनी बाधा नहीं है। निगम बागान के लिए ऋण देता रहा है।

पश्चिम बंगाल में छोटी सिंचाई के विकास के लिए काफी गुंजाइश है। तथापि, कृषिक पुनर्वित्त निगम के बार-बार प्रयत्नों के बावजूद तथा भूमिगत सर्वेक्षणों से रिपोर्ट उपलब्ध होने पर भी, जिनके आधार पर सिंचाई विकास योजनाएं बनाई जा सकती हैं, ऐसी योजनाएं अब तक राज्य से प्रायोजित नहीं की गई हैं। परिणामस्वरूप, रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात की ओर पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सलाहकार का विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट किया और साथ-साथ ही यह भी अनुरोध किया कि बैंकिंग ढाँचे को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करने के लिए वह कार्यवाही करे।

आशा है कि श्री एस० एन० सिंह अपना संशोधन जो उन्होंने इस विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने के लिए दिया है, वापस ले लेंगे क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री एस० एन० सिंह : मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूँ।

सभा की अनुमति से सदस्य द्वारा संशोधन वापस लिया गया।

The amendmend was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कृषिक पुनर्वित्त निगम अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 4, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 4, 1, **अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गये।**

Clauses 2, 3, 4, 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES (VALIDATION OF PROCEEDINGS) BILL, 1971

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि प्रत्यक्ष करों से कतिपय कार्यवाहियों के विधिमान्यकरण का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को दो प्रथक बोर्डों यथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केन्द्रीय उत्पादन कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड में विभक्त किया गया था जिन्हें केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित किया गया था। उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रत्येक बोर्ड के कार्य संचालन को विनियमित करने के प्रयोजन के लिये नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है और इसी धारा में यह उपबंध भी है कि "इन नियमों के अनुसार किया गया प्रत्येक आदेश अथवा कार्य, यथास्थिति, बोर्ड का आदेश अथवा कार्य समझा जायेगा"। इस शक्ति का उपयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने 1 जनवरी, 1964 को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यसंचालन विनियमन) नियम, 1964 अधिसूचित किये जिससे इस विषय पर पहले बने सभी नियम रद्द कर दिये गये। इन नियमों में एक उपबंध के अधीन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को बोर्ड के कार्य को अपने में तथा अन्य सदस्यों में वितरित करने तथा बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से विचार किये जाने

के लिये मामलों को अथवा मामलों की श्रेणी को विनिदष्ट करने की शक्ति प्राप्त है। तथापि, अध्यक्ष केवल केन्द्रीय करकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही ऐसा आदेश पास कर सकता है।

किन्तु कुछ मामलों में ऐसे आदेश वित्त मंत्रालय के सचिव की केवल औपचारिक अथवा अनौपचारिक अनुमोदन प्राप्त करके ही पास किये गये हैं और सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ऐसे आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि उन्हें पास करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है और वास्तव में, हाल में दिल्ली उच्च न्यायालय डालमिया मामले में इसी आधार पर चुनौती दिये जाने पर ऐसा निर्णय दे चुका है। अतः बोर्ड सदस्यों के बीच काम के वितरर्ण में तकनीकी दोष के कारण यदि बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की कार्यवाहियों को अवैध ठहराया जाता है, तो उससे राजस्व पर काफी प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्तुत विधेयक का उद्देश्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की उन कार्य-वाहियों को, जिन्हें अध्यक्ष तथा सदस्यों के बीच काम के वितरण तथा नियतन संबंधी आदेश में प्रक्रिया सम्बन्धी त्रुटि के कारण चुनौती दी जा सकती है, विधिमान्य बनाना है। मुझे आशा है कि सभा इस विधेयक का पूर्णतः अनुमोदन करेगी।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रत्यक्ष करों से सम्बन्धित कतिपय कार्यवाहियों के विधिमान्यकरण का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री आर० वी० बड़े (खारगोन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि 1971 का विधेयक संख्या 92 'केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधि-मान्यकरण) विधेयक' पर वाद-विवाद स्थगित किया जाये।"

उपरोक्त विधेयक का विषय-वस्तु उच्चतम न्यायालय में केन्द्रीय वित्त सचिवालय के सचिव, प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली और आयकर अधिकारी की सिविल अपील संख्या 1108 से 1112 (एन० टी०) 70 के रूप में निर्णयाधीन है। सरकार की याचिका उच्चतम न्यायालय में गृहीत हो चुकी है और उसे सिविल अपीलेट-जूरिस्डिक्शन के रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है, किन्तु मंत्री जी ने इस तथ्य को छिपाया है।

सरकार अपनी त्रुटियों पर पर्दा डालने तथा कुछ अधिकारियों की गलतियों को माफ करने के लिये विधेयक नहीं ला सकती।

चूंकि यह मामला न्याय-निर्णयाधीन है, अतः इस पर सभा में विचार-विमर्श नहीं किया जा सकता।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैंने विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि दिल्ली

उच्च न्यायालय ने डालमिया मामले के संबंध में कुछ निर्णय दिया है। इस निर्णय के विरुद्ध केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की है। लेकिन यह बात कि उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील निर्णयाधीन है, विधिमान्यकरण विधान पारित करने में संसद के लिये बाधक नहीं बनती ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी की उक्ति ठीक है। इस संबंध में कई विनिर्णय हैं। ये कि संसदीय प्रक्रिया में इस पर बुनियादी विनिर्णय दिया गया है। इतना अवश्य है कि इस विधेयक पर वाद-विवाद के संचालन में अध्यक्ष को तथा इस बारे में सदस्यों को भी बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अतः इस विधेयक पर विचार विमर्श किया जा सकता है। अतः मैं इस संशोधन को माननीय सदस्य की इच्छानुसार सभा के मतदान के लिये रखता हूँ ।

प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण) विधेयक, 1971 पर वादविवाद स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived.

श्री डी० के० पन्डा (भंजनगर) : यद्यपि मैं इस विशेष विधेयक का समर्थन करता हूँ, तथापि मुझे यह कहना है कि कर अपवंचनकर्त्ताओं से किस तरह निपटा जाये, इस संबंध में सरकार के बुनियादी दृष्टिकोण तथा रवैये में दूरदर्शिता का अभाव है। कर अपवंचनकर्त्ता देश तथा सरकार के साथ धोखा करते हैं और जिसके परिणामस्वरूप बड़े औद्योगिक व्यापारी तथा धनी लोग काला धन पैदा करते हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

प्रायः ऐसा देखने में आता है कि जब कभी कोई चीज उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के समक्ष आती है, तो सरकार तत्संबंधी विशेष कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण के लिये कोई विधेयक ले आती है, यदि यह रवैया रहा, तो इसका कोई अन्त नहीं होगा। वास्तव में अधिनियमों में जानबूझकर अथवा त्रुटियाँ छोड़ी जाती हैं जिससे बड़े उद्योगपति तथा धनी लोग कर अपवंचन करते हैं। आयकर अधिनियम में भारी परिवर्तन करने की जरूरत है जिससे अन्यथा कर अपवंचनकर्त्ताओं को कड़ी सजा दी जा सके और कर अपवंचन करने की उनकी हिम्मत न पड़े। इस मामले के कानूनी पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिये सरकार को एक समिति गठित करनी चाहिए और केवल आय-कर अधिनियम में ही नहीं अपितु तत्संबद्ध अन्य अधिनियमों में भी यथोचित परिवर्तन करना आवश्यक है।

आयकर अधिनियम में दण्ड देने का कोई उपबन्ध नहीं है। इस समय केवल आर्थिक दण्ड लगाने की व्यवस्था है। भारी राशि का अपवंचन करने वाले लोगों को जो काले धन का सृजन कर रहे हैं, दण्ड देने के लिये उपबन्ध करना जरूरी है। ऐसे लोगों को अपराधी घोषित किया जाना चाहिए और उन्हें कारावास का दण्ड दिया जाना चाहिए ।

***श्री जे० एम० गौडर** (नीलगिरी) : प्रस्तुत विधेयक को लाने का मूल कारण यह है कि प्रत्यक्ष कर बोर्ड की शक्तियों की अच्छी तरह परिभाषा नहीं की गई है और बोर्ड द्वारा ऐसी आय का, जिसका निर्धारण नहीं हो सका था, पुनर्निर्धारण के लिये सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था। क्यों ? इसका कारण यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण नियम अधिकारियों तथा निर्धारितियों नियम दोनों की ही समझ में आसानी से नहीं आते। इसीलिये भूतलिंगम समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियमों की भाषा स्पष्ट तथा सरल होनी चाहिए ताकि लोग उन्हें आसानी से समझ सकें और उनकी क्रियान्विति में कोई उलझन न हो। मेरा सुझाव है कि इस संबंध में भूतलिंगम समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्रियान्वित की जानी चाहिए।

आयकर अपवंचकों को दण्ड देने की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। किन्तु कर बोर्ड को नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए था, विशेषत: जब कि उसकी सहायता के लिये बड़े ऊँचे अधिकारी वहाँ नियुक्त हैं।

स्पष्ट शब्दों में यदि कहा जाये तो यह विधेयक बोर्ड तथा सरकार की ओर से जो अक्षम्य गलतियाँ हुई हैं उन पर केवल पर्दा डालने के लिये लाया गया है। क्योंकि ऐसे मामलों को जब न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो वे टिक नहीं सकते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि भविष्य में विधेयकों तथा अधिनियमों में ऐसी त्रुटियाँ नहीं छोड़ी जानी चाहिए और आयकर नियमों की भाषा सरल होनी चाहिए ताकि अधिकारी तथा निर्धारिती दोनों ही उसे आसानी से समझ सकें।

SHRI R. V. BADE : Sir, I do not oppose the Bill to validate certain proceedings in relation to direct taxes. But my contention is that why the Chairman and the Members of the Board of Direct Taxes had been acting *suo motu* all these five years when the Section 4 of the Central Board of Direct Taxes (Regulation of Transaction of Business) specifically provided that the prior approval of the Central Government had to be obtained. When the Delhi High Court gave its decision against the Board in the Dalmia case, the Government went on appeal to the Supreme Court where the matter is pending. But this fact was not revealed by the hon. Minister while introducing the Bill. The Bill has been brought merely to cover and condone the lapses and mistakes of the Board. So far as this Bill is cencerned I am not opposed to it and I do not say that tax evaders should be allowed to go scot-free. But such bills and acts should not be left with lacunae which cause legal complications; who is responsible for these lapses and why the procedural requirement was not fulfilled ? I am not against the Bill but against the preposition to validate the proceedings with retrospective effect.

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : यह विधेयक श्री आर० डालमिया बनाम भारत संघ के मुकदमे में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप लाया गया है। परन्तु वास्तव में इस मुकदमे का संबंध केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के कार्यकरण और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की गतिविधियों और उनके अनुत्तरदायीपूर्ण रवैये से है।

---

*तमिल में दिये गये भाषण के अँग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

केन्द्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड, कर विभाग और राजस्व विभाग का प्रशासन कर अपवंचकों और चोर बाजारी करने वाले व्यक्तियों को काला धन जमा करने के लिये प्रोत्साहन देता है । इसी कारण से 1000 करोड़ आयकर के रूप में बकाया हैं । आज यह स्थिति है कि वैध मुद्रा के साथ देश में काला धन और मुद्रा प्रतिस्पर्धा कर रही है । ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही या कठोर कदम नहीं उठाये गये हैं ।

मेरा निवेदन है कि इस संबंध में कठोर कदम उठाये जायें और यदि संभव हो तो सम्पूर्ण कानूनी ढाँचे और संविधि को बदला जाये । काला धन पकड़ा जाना चाहिए और आयकर की बकाया राशि वसूल की जानी चाहिए । मंत्री महोदय को देखना चाहिए कि बोर्ड के सदस्य अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कर ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती (केन्द्रपाड़ा) : कार्यपालिका की कुछ भूल और गलतियों को वैध बनाने के लिये न्यायपालिका के महत्व को कम करना लोकतंत्र के लिये अच्छा नहीं है । मंत्री महोदय वैसे तो बहुत वाकपटु हैं परन्तु इस विधेयक के कारणों पर उन्होंने प्रकाश नहीं डाला ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैंने केवल विधेयक प्रस्तुत किया है और मैं उस पर बोला नहीं हूँ ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : उद्देश्यों और कारणों के कथन में कहा गया है कि श्री आर० डालमिया बनाम भारत संघ के मुकदमे में दिल्ली न्यायालय ने ऐसा आदेश इसलिए दिया क्योंकि आय की कुछ राशि मूल कर-निर्धारण के समय छूट गई थी और पुन: निर्धारण का बाद में नोटिस दिया गया । क्या इस बारे में जाँच की गई है कि यह आय जानबूझकर मूल निर्धारण के समय छोड़ दी गई थी या रह गई थी ।

मंत्री महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में बताया कि इन पाँच वर्षों में सरकार प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्यों के कर्त्तव्यों के विभिन्न बँटवारों को औपचारिक या अनौपचारिक सहमति देती रही है । इससे पता चलता है कि सरकार किस तरह कार्य करती रही है । यह बोर्ड इस संसद के प्राधिकार के अधीन एक संविदित निकाय के रूप में बनाया गया है और कानून में इसके कृत्य स्पष्ट दिये गये हैं । क्या कारण है कि सरकार सदस्यों के बीच कर्त्तव्यों के बँटवारे की स्वीकृति नहीं दे सकी जिसके कारण एक सदस्य ने, जिसे अधिकार नहीं था, नोटिस देने की मंजूरी दी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : इस विधेयक का उद्देश्य प्रक्रिया संबंधी कुछ उन कमियों को दूर करना है जो केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के ध्यान में आ गई हैं ।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष को अपने तथा सदस्यों के बीच कृत्यों को बाँटने का पूर्ण अधिकार है परन्तु ऐसे आदेश के लिये केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए । अध्यक्ष ने वित्त सचिव की औपचारिक या अनौपचारिक स्वीकृति ली ।

श्री सुरेन्द्र महन्ती : क्या वे औपचारिक स्वीकृति और अनौपचारिक स्वीकृति में अन्तर बता सकते हैं ?

श्री के० आर० गणेश : गलती यह की कि केन्द्रीय सरकार अर्थात मंत्री महोदय के आदेश लेने के स्थान पर वित्त सचिव के आदेश लिये गये। इसी गलती को सुधारा जा रहा है। यह भूल किसी को लाभ पहुँचाने की दिशा में नहीं थी। चूँकि इसका अनेक मामलों पर और बहुत सी आय पर प्रभाव पड़ेगा इसलिए बोर्ड की कार्यवाही को वैध बनाने के लिये यह सुधार किया जा रहा है। माननीय सदस्यों ने अनेक बातें कही हैं जिनसे प्रक्रिया संबंधी इस भूल का कोई संबंध नहीं है। यह विधेयक कर अपवंचकों के बारे में नहीं है।

कुछ माननीय सदस्यों ने बोर्ड के अध्यक्ष के अनुत्तरदायीपूर्ण कार्यों की आलोचना की और अन्य बातें कहीं। मैं इन सब बातों में नहीं जाना चाहता और इस अवसर को बोर्ड के सम्पूर्ण कार्यकरण की आलोचना के लिये प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। बकाया कर राशि की बात भी उठाई गई। बकाया कर राशि की वसूली में 1964 से निरन्तर वृद्धि हुई है। वसूल की गई बकाया करों की राशि का विवरण इस प्रकार हैं :

1964-65	59·94 करोड़
1965-66	63·88 करोड़
1966-67	62·76 करोड़
1967-68	100·52 करोड़
1968-69	110·52 करोड़
1969-70	129·75 करोड़
1970-71	159·61 करोड़ (अस्थायी)

करों की बकाया राशि 565·73 करोड़ रुपए है न कि 1000 करोड़ रुपए। इसमें से भी कुछ राशि बट्टे खाते डालनी पड़ेगी क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्तियों के संबंध में है, जो पाकिस्तान चले ग येहैं, कुछ कम्पनियाँ हैं, जो पाकिस्तान में हैं। इस बकाया राशि के बारे में हमें पूरी चिन्ता है। आयकर कानून में अनेक प्रक्रियायें हैं। आयकर विभाग को अनेक बाधाएँ पार करनी होती हैं, जिनमें समय लगता है। मेरे विचार में करदाता को कराधान विधि के अन्तर्गत अनेक लाभ प्राप्त हैं। अपीलीय आयुक्त, अपीलीय न्यायाधिकरण आदि के अतिरिक्त करदाता उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकता है। वह अनुच्छेद 266 का लाभ उठा सकता है। मुझे बताया गया है कि एक उच्च न्यायालय में 800-900 मामले पड़े हैं।

कर अपवंचन की समस्या बहुत गम्भीर है। देश में ऐसे सामाजिक अपराधों के विरुद्ध वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है। यह भी आवश्यक है कि हम अपने कानूनों का पुनर्विलोकन करें और इसके लिये अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रत्यक्ष करों से संबंधित कतिपय कार्यवाहियों के विधिमान्यकरण का और तत्सम्बद्ध विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्डों पर चर्चा होगी ।

श्री आर० वी० बड़े (खरगोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ । मैं केवल इतना चाहता हूँ कि किसी न्यायालय में न्यायाधीन मामलों पर यह धारा लागू नहीं होनी चाहिए । यही मेरे संशोधन का उद्देश्य है ।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : Since this was minor procedural defect, they should have given prime consideration to the public interest. This defect would have helped big capitalists like Mr. Dalmia.

The amendment suggested by Shri Bade will only help tax evaders and big capitalists. A comprehensive bill should be brought on a later date so as to make the taxation laws fool-proof. The tax-evaders are all big businessmen and they are helped by senior Government Officials after their retirement. We should strengthen the hands of the Board as well as the judiciary to check tax evasion. Tax evasion should be considered a criminal offence and deterrent and penal action should be taken against such elements.

श्री के० आर० गणेश : मैं माननीय सदस्य का संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता । मैं उनका संशय दूर कर देना चाहता हूँ कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष निर्णयाधीन पड़े ऐसे मामलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिनका प्रक्रिया संबंधी इस अनियमितता के कारण आयकर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के विधिमान्यकरण से कोई संबंध नहीं है ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री के० आर० गणेश : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : MYSORE STATE ELECTRICITY BOARD

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूँ :

"जबकि विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैसूर सरकार ने मैसूर विधान सभा की अनुमति से, अपने आदेश संख्या पी० डब्ल्यू० डी० 100 ई० ई० बी० 69, दिनांक 15 नवम्बर, 1969 के अन्तर्गत उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ 10 सितम्बर, 1969 से अधिकतम धन राशि पचास करोड़ रुपये निर्धारित की है;

और जबकि मैसूर सरकार का उक्त अधिकतम धन राशि को बढ़ाकर पचहत्तर करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव है;

और जबकि मैसूर विधान सभा विघटित की जा चुकी है;

और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्तियाँ संसद् द्वारा प्रयोक्तव्य हैं;

अतः अब एतदद्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अधिकतम धन राशि पचहत्तर करोड़ रुपया निर्धारित करने के मैसूर सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता है।"

विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 की धारा 65 (3) के अन्तर्गत राज्य सरकारों को अधिकार दिये गये हैं कि वे राज्य विधान सभा की स्वीकृति से विद्युत बोर्ड की ऋण लेने की सीमा बढ़ा सकती हैं। मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड की ऋण क्षमता नवम्बर, 1969 में, बढ़ाकर 50 करोड़ रुपये की गई थी। इस समय बोर्ड ने 4999·88 लाख रुपए के ऋण ले रखे हैं अर्थात ऋण द्वारा और राशि नहीं जुटाई जा सकती। मैसूर सरकार ने यह सीमा बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इस संबंध में आवश्यक ब्यौरा परिचालित टिप्पणी में दिया गया है।

चूँकि राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू है, यह प्रस्ताव स्वीकृति के लिये संसद् में रखा गया है।

*** श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा** (शिमोगा) : श्रीमन्, मैं मैसूर बिजली बोर्ड के बारे में सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ। यह संकल्प राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किया जाना था परन्तु चूँकि मैसूर में राष्ट्रपति का शासन है, इसलिए इसका अनुमोदन संसद् द्वारा किया जाना है।

सरकार मैसूर राज्य बिजली बोर्ड को आरम्भ से ही ऋण देती रही है। परन्तु बोर्ड इसे लौटा नहीं सका है। इसके कई कारण हैं। बोर्ड ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कई योजनाएँ तैयार की हैं परन्तु इस दिशा में अभी तक कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। शरावती परियोजना के लिए जिन लोगों को हटा कर साथ वाले गाँवों में बसाया गया था, उनको भी अभी तक बिजली नहीं दी गई है हालांकि उनका सबसे पहले हक था। ऐसा देखा गया है कि बिजली का वितरण करने के लिये जिम्मेवार अधिकारी प्रयत्न करते हैं कि बिजली केवल उन्हीं क्षेत्रों में दी जाये जहाँ के वे रहने वाले हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। बोर्ड को चाहिए कि वह किसानों को बिना भेदभाव बिजली दे ताकि वे खेती के मामले में क्रान्ति ला सकें। सोराबा, सागर, होसानगर और तीर्थहाली के क्षेत्रों में बिजली दी जानी चाहिए और इस मामले में प्रादेशिक असंतुलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

दूसरी बात जिसकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ वह यह है कि बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को खराब मीटर सप्लाई करता है जिसके फलस्वरूप किसानों को बड़ी असुविधा होती है क्योंकि इसके लिये अन्ततः किसानों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है और उन्हें अकारण परेशान किया जाता है हालांकि उनका बिल्कुल कोई दोष नहीं होता है। यहाँ तक कि उन लोगों पर 1,000 से 2,000 रुपये तक जुर्माना कर दिया जाता है जो वे अदा नहीं कर सकते हैं। खराब मीटर बनाने वाली कम्पनियों को लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये और किसानों को बढ़िया मीटर दिये जाने चाहिए। इस संबंध में 250 रुपये तक के जुमाने वाले मामलों को वापस लेने की बोर्ड के सभापति को शक्ति है। इस सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपये तक कर दिया जाना चाहिए जिससे इसके फलस्वरूप किसानों को होने वाली कठिनाई को जल्दी दूर किया जा सके; क्योंकि अन्यथा न्यायालय में एक-एक मामले पर छः छः महीने लग जाते हैं और इस बीच किसानों को पानी न मिलने से काफी हानि उठानी पड़ती है। इस संबंध में नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिये।

सतर्कता विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिये कि औद्योगिक एकक बिजली का दुरुपयोग न करें, कारगर कार्यवाही करनी चाहिए।

कंकरीट के खम्बों का निर्माण विभागीय रूप से किया जाना चाहिए। इसके लिए कच्चा माल केन्द्र द्वारा सप्लाई किया जाना चाहिए। इससे उत्पादन लागत कम हो जायेगी और इस प्रकार बोर्ड लाखों रुपयों की बचत कर सकेगा। बेरोजगारी की समस्या भी कुछ सीमा तक हल हो जायेगी।

* कन्नड़ में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the original speech delivered in Kannada.

महात्मा गांधी जल-विद्युत परियोजना में नियोजित लगभग 400 कर्मचारियों की छटनी करने का प्रस्ताव अनुचित और अमानवीय है। इनमें से कुछ कर्मचारी तो पिछले 10-12 वर्ष से कार्य कर रहे हैं। उनको स्थायी घोषित करके अन्य बिजली निगमों में काम पर लगा दिया जाना चाहिये।

खेद है कि मुनाफा कमाने वाले उद्योगों को भी बिजली रियायती दरों पर दी जा रही है। उद्योगपतियों को ऐसी रियायत नहीं दी जानी चाहिए। करवाड़ में कास्टिक सोडे का एक कारखाना है जिसे काफी मुनाफा होता है। परन्तु उसे भी बिजली रियायती दर पर दी जा रही है। यह एक अनुचित बात है।

इसके अतिरिक्त राज्य बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली की भी तुरन्त जाँच होनी चाहिए जिससे बोर्ड अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सके।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा) : यदि मैसूर राज्य बिजली बोर्ड वाणिज्यिक आधार पर कार्य करे, तो यह काफी धन इकट्ठा कर सकता है और वही धन बोर्ड के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों में लगाया जा सकता है। पारेषण लाइनों के बारे में, मेरा सुझाव यह है कि 220 कि० वोल्ट की बजाये 430 कि० वोल्ट की लाइनें बिछाई जानी चाहिए।

मैसूर न केवल अपने राज्य में ही परन्तु पड़ौसी राज्यों को भी बिजली सप्लाई करता है और इससे उसे काफी आय होती है। बिजली की दर बढ़ाकर इस आय में और भी वृद्धि की जा सकती है और इस धन का बोर्ड के कार्यक्रमों पर उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त बोर्ड द्वारा जितनी खरीद की जाती है वह अन्य बातों के अलावा केवल तकनीकी और वाणिज्यिक आधार पर की जानी चाहिए। बोर्ड इस प्रकार अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकता है।

श्री के० आर० गणेश : मैसूर राज्य बिजली बोर्ड ने 1971-72 से प्रति वर्ष 2,500 ग्रामों में बिजली पहुँचाने का बीड़ा बठाया है। आगामी पाँच वर्षों में राज्य के प्रत्येक गाँव का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है। राज्य में 2·64 लाख गाँवों में से 1·04 गाँवों में मार्च, 1971 के अन्त तक बिजली पहुँचाई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त मई, 1971 तक 1·32 लाख पम्पों के लिए बिजली की व्यवस्था की गई। इस वर्ष 30,000 पम्पों के लिये बिजली की व्यवस्था करने का बोर्ड का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त चौथी योजना के शेष 2 वर्षों में 35,000 पम्पों के लिये बिजली देने का भी कार्यक्रम है। इन कार्यक्रमों पर खर्च करने के लिए ऋण की आवश्यकता है जिसके लिये सभा का अनुमोदन आवश्यक है।

सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव मैसूर राज्य बिजली बोर्ड तथा मैसूर राज्य को आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"जबकि विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अनुसरण में, मैसूर सरकार ने मैसूर विधान सभा की अनुमति से, अपने आदेश

संख्या पी० डब्ल्यू० डी० 100 ई० ई० बी० 69, दिनांक 15 नवम्बर, 1969 के अन्तर्गत उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के प्रयोजनार्थ 10 सितम्बर, 1969 से अधिकतम धनराशि पचास करोड़ रुपये निर्धारित की है।

और जबकि मैसूर सरकार का उक्त अधिकतम धन राशि को बढ़ाकर पचत्तर करोड़ रुपया करने का प्रस्ताव है;

और जबकि मैसूर विधान सभा विघटित की जा चुकी है;

और जबकि राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जारी की गई दिनांक 27 मार्च, 1971 की उद्घोषणा के अधीन राज्य विधान मण्डल की शक्तियाँ संसद द्वारा प्रयोक्तव्य हैं;

अतः अब एतदद्वारा संकल्प किया जाता है कि लोक सभा विद्युत (पूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का 54) की धारा 65 की उपधारा (3) के अधीन अधिकतम धन राशि पचहत्तर करोड़ रुपया निर्धारित करने के मैसूर सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन करती है, जिसे मैसूर राज्य विद्युत बोर्ड उक्त धारा 65 की उपधारा (1) के अधीन किसी भी समय उधार ले सकता।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 1971

PUBLIC PREMISES (EVICTION OF UNAUTHORISED OCCUPANTS) BILL, 1971

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप मूल अधिनियम में पाई गई कानूनी त्रुटि को दूर करने के लिये यह विधेयक लाया गया है। यह अधिनियम सर्वप्रथम 1958 में अधिनियमित किया गया था। यह पंजाब लोक परिसर बेदखली अधिनियम, 1959 के अनुरूप तैयार किया गया था। परन्तु इसे उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया था। 1968 में इसे पुनः पारित किया गया, लेकिन इसे 1970 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। यद्यपि सरकार ने इस निर्णय के विरुद्ध अपील कर रखी है, तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए

कि इस पर अधिक समय लग रहा है, न्यायालय के निर्णय के आधार पर एक पुनरीक्षित विधेयक लाया गया है जिससे पहले वाले अधिनियम में जिन त्रुटियों का हवाला दिया गया है, उन्हें दूर किया जा सके ।

पहले वाले विधेयक में मुख्य त्रुटि यह थी कि सम्पदा अधिकारी को शक्ति दी गई थी कि वह चाहे किसी मामले पर एक न्यायिक कल्प प्राधिकारी के रूप में स्वयं उचित कार्यवाही करे अथवा उस मामले को किसी सिविल न्यायालय में ले जाये। परन्तु उच्च न्यायालय ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 के विरुद्ध बताया। अत: इस विधेयक में रूपभेद कर दिया गया है। अब सम्पदा अधिकारी मामले सिविल न्यायालय को निर्दिष्ट न करके एक न्यायिक कल्प प्राधिकारी के रूप में अपना निर्णय देगा और इस निर्णय के विरुद्ध दूसरा पक्ष न्यायालय में अपील कर सकेगा ।

यह एक ऐसा विधेयक है जिस पर दो राय नहीं हैं। परन्तु इसके अभाव के कारण दिल्ली में 18,074 और समस्त देश में लगभग 73,000 मामले लम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि सम्पदा अधिकारी इस बीच कोई कार्यवाही नहीं कर सके। इसके अतिरिक्त, इस कारण दिल्ली में किराए की लगभग 71 लाख रुपये की और समस्त देश में लगभग 2·11 करोड़ रुपये की राशि वसूली के लिये बकाया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह विधेयक लाया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : विचार करने के प्रस्ताव पर श्री एस० एन० सिंह का एक संशोधन है। परन्तु वह अनुपस्थित हैं, इसलिये इसे प्रस्तावित नहीं किया जाता है।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : लोक परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने की शक्ति कुछ नगरपालिकाओं तथा पंचायतों को भी दी जानी चाहिये। इस संबंध में इस विधेयक में उपबन्ध किया जाना चाहिये।

कुछ अप्राधिकृत अधिभोगी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिये अन्य कोई स्थान नहीं है। इनके भविष्य का विचार किये बिना उन्हें लोक परिसरों से बेदखल करना उचित नहीं होगा। त्रिपुरा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में हरिजन, आदिवासी और अन्य गरीब लोग कई वर्षों से एक स्थान पर रहते आ रहे हैं किन्तु उनके पास अधिकृत भोगी होने का कोई प्रमाण नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अलग उपबन्ध होना चाहिये जिससे उन्हें वैकल्पिक स्थान दिये बिना बेदखल न किया जा सके। बेदखल करने से पहले इन लोगों को नोटिस दिया जाना चाहिए अन्यथा उनको बड़ी परेशानी होगी। ऐसे लोगों से प्रतिकर भी नहीं लिया जाना चाहिये। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 4 और 5 में उपयुक्त संशोधन कर दिया जाना चाहिये।

धारा 11 में न्यायालय में अपील करने के बारे में उपबन्ध है। परन्तु प्रश्न यह है गरीब लोग न्यायालय में जाने के लिए पैसा कहाँ से लायें। इसलिये मेरा सुझाव यह है कि उन्हें बिना किसी फीस के दिये न्यायालय में जाने की सुविधा होनी चाहिये। इस संबंध में आवश्यक उपबंध किया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त 5,000 रुपये तक के मामलों में ऐसे लोगों को कोई दण्ड नहीं दिया जाना चाहिये।

SHRI K. M. MADHUKAR (Kesaria) In our country, the economic and social structure is such that 51 per cent of our people are homeless. Such people, who are homeless and who have been occupying certain premises out of sheer helplessness, should not be termed as unauthorised dccupants. As urvey should be made throughout the country to find out the class to which these unauthorised occupants belong. If they belong to higher classes, they should be evicted forth with and the relevant rules should be strictly followed to punish them. But in case of poor and backward people, some leniency should be shown. A provision should be made in this Bill to the effect that such people are not evicted from the premises. If it is not possible to do so, some alternative arrangements should be made for them before they are evicted. Otherwise this will create a lot of difficulties for them.

Besides, necessary facilities should be provided to these poor people to enable them to go to a court of law and get justice.

Eight to ten days' show cause notice will not be enough so for as poor and backward people are concerned. The period of notice should be enhanced so that these poor people are able to make alternative arrangements.

There is no provision in the Bill to deal with the officers who flout the law. As a result they will misutilise it. The law should be implemented properly. Law should be uniform in respect of all persons whether they be low or high.

There are two categories of persons. One consists of those who are rich and have occupied the land with some influence. The other category consists of those who are poor and heve occupied the land out of helplessness.

I feel that a feeling should have been created in the mind of the people that these public premises are meant for the good of the people and thus should not be occupied unauthorisedly. In the case of unauthorised occupation the Government should be in a position to get it vacated.

The hon. Minister should assure us that the law shall not be used forcibly against the poor, landless and the middle-class persons.

***श्री जे० एम गौडर** (नीलगिरि) : लोक परिसर (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 1971, जिस पर अब विचार किया जा रहा है, को लाना इसलिए आवश्यक हो गया था ताकि लोक परिसरों के अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने की कार्यवाही करने के लिए सम्पदा अधिकारी को कुछ प्राधिकार दिए जा सकें। चूँकि पहले अधिनियमों में कुछ त्रुटियाँ भी रह गई थीं इसलिए ऐसा विधेयक लाना जरूरी हो गया था। विधेयक को बार-बार लाने पर काफी धन व्यय हो जाता है, इसलिए सरकार को बहुत सोच-समझ कर विधेयक लाना चाहिए जिससे उसमें त्रुटियाँ न रहने पाएं।

मैं इस बात का विरोध नहीं करता कि लोक परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल न किया जाए परन्तु सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेदखल

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षित हिन्दी रूपान्तर।

* Summarised translated version based on English translation of the original speech delivered in Tamil.

करने पर हमारे समाज के कुछ वर्गों को कितनी कठिनाई होती है। आप सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ही बात ले लीजिए। वे लोग 30, 35 वर्ष दिल व जान से सेवा करते हैं परन्तु जब 55 या 58 वर्ष की आयु होने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन्हें एकदम कह दिया जाता है कि मकान खाली करिए। सेवा निवृत्ति के बाद उन्हें जो कठिनाई होती है, सरकार उस पर कभी गौर नहीं करती। सरकार को उन्हें वैकल्पिक मकान देने के लिए कोई योजना बनानी चाहिए। इतनी मंहगाई के दिनों में सरकारी कर्मचारियों के लिए अपना मकान बनाना बड़ा मुश्किल है। अतः सरकार को कम आय वाले कर्मचारियों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए।

[**श्री के० एन० तिवारी पीठासीन हुए**
SHRI K. N. TIWARY *in the Chair*]

विधेयक की धारा 9 (2) (क) के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों को आदेश जारी होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अपील करने का समय दिया गया है। आमतौर पर एक महीने की अवधि दी जाती है। परन्तु चूँकि यह एक पेचीदा मसला है इसलिए इसके लिए 3 महीने की अवधि निर्धारित की जानी चाहिए।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : क्योंकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने पुराने अधिनियम को शून्य कर दिया है इसलिए सेवानिवृत्त कर्मचारी मकान खाली नहीं कर रहे हैं। यदि इसी प्रकार के मामले बढ़ते गए तो सरकार कितने भी मकान बना ले उसका काम नहीं चलेगा। इसी तरह कुछ संसद सदस्य भी मकान खाली नहीं कर रहे हैं हालांकि वे संसद् सदस्य नहीं रहे हैं। कुछ लोगों ने सरकारी खाली भूमि पर, मन्दिर आदि बनाने के लिए, भी कब्जा कर रखा है। सरकार अपनी ऐसी भूमि से वंचित रह जाती है और उसका उपयोग नहीं कर पाती। अतः ऐसी भूमि को अधिकार में लेने के लिए सरकार के पास ऐसा विधेयक लाने के सिवाय कोई चारा न था। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात् सरकार को एक अनुपूरक विधेयक भी लाना चाहिए जिससे वे ऐसे धार्मिक स्थानों को भी अपने अधिकार में ले सके जो अवैध रूप से ले लिए गए हैं।

सरकार को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस अधिनियम का ठीक पालन किया जाए। उसे यह देखना होगा कि इसका संचालन करने वाले लोग उच्चाधिकारियों के चंगुल में न फँस जाएं।

इस संबंध में अमीर व गरीब किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक गरीबों को यह रियायत दी जा सकती है कि वे भूमि कुछ समय बाद खाली कर दें।

SHRI R. V. BADE (Khargone) : I would not have objected if Government had brought this Bill to get the land Vacated from those who had occupied it recently and not from those who had occupied it long long ago say since 1864. The definition of "encroachment of land" should have been made clear. If the land is got vacated from those who had occupied it long ago then where they will be put. Since then the land has been transferred from many hands and therefore it is not proper to get it vacated.

The whole of Delhi is dissatisfied over this Act. Moreover the doors of the court have

also been shut for the people. No court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of the eviction of any person. It is against natural justice.

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : In the definition of public premises come Government buildings, buildings of the Corporation and buildings of limited concerns. These buildings are used for two purposes—residential and official. Our law should be strict in the case of official uses and lenient in the case of residential uses. The Government should see that the number of homeless persons in our country is very large. So, unless and until the accommodation problem is solved we can not solve this problem. When people feel that injustice is being done to them, they think of occupying the land unauthorisedly.

Our allotment system is also very defective. People are allotted accommodation out of turn. That is why they think of unauthorised occupation. Sometimes out of helplessness they occupy it.

The limit for appeal has been fixed for fifteen days. It should be increased to one month. Clause 4 should also be amended.

At the end I would again appeal that the housing problem should be solved as early as possible. Only then the problem of unauthorised occupation will automatically be sloved.

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : The poor people are living in shanties since a pretty long time. They had built shanties after putting in lot of labour. Similarly the refugees who came into this country also put in their best efforts to construct houses for themselves. Now they have developed big colonies. All kinds of facilities have been provided there. Now they should be uprooted from there only when arrangements to provide alternative accommodation for them are made.

The land worth crores of rupees has been given to the capitalists on lease for 100 years. Now the period of lease is being extended. There is no provison in the Bill to check it. Thus I find that only the poor are being penalised. My submission is that protection should be given to the poor. The Government should bring a comprehensive Bill to take whole property in its control and curtail the rights of the rich.

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आई० के० गुजराल) : मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ मकानों की बहुत कमी है तथा जिन्हें वहाँ से निकाला जाएगा उन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा । परन्तु हम इस समस्या को बिना कोई उचित नीति बनाए हल नहीं कर सकते । इस समस्या को हल करने के लिए हमें कोई तरीका निकालना होगा । हम उन लोगों की अवश्य सहायता करना चाहते हैं जिनके पास भूमि खरीदने के लिए धन नहीं है । परन्तु हम इस समस्या को सामाजिक ढंग से हल कर सकते हैं । इसीलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए एक नगरीय आवास नीति तथा नगरीय भूमि नीति बनाई जाए । नगरीय भूमि नीति तभी बन सकती है यदि हम ऐसे सभी निर्मित क्षेत्रों पर जो ऐसे बड़े-बड़े नगरों के पास हैं जो लोगों को आकर्षित करते हों, ऐसे नियंत्रण करें जिससे गरीब लोगों की सहायता की जा सके ।

सीमित साधनों वाले लोगों की हम केवल एक ही तरीके से सहायता कर सकते हैं कि उन्हें मकान और प्लाट सस्ते दामों पर दिये जाएं जैसे दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण दे रहा है ।

कुछ लोगों ने तो झुग्गी-झौंपड़ियाँ बना ली हैं तथा कुछ ने मकान बना लिए हैं । जहाँ तक झुग्गी झौंपड़ी वाले लोगों का संबंध है हमारी यह घोषित नीति है कि हम उन्हें उनकी झौंपड़ी के बदले अन्य स्थान देंगे । अब तक हम लगभग 60,000 लोगों को वैकल्पिक स्थान दे चुके हैं । अब हम इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि जिन लोगों को विस्थापित किया जाए उन्हें उनके कार्य स्थान के पास ही स्थान दिया जाए ।

श्री दत्ता ने कहा था कि विधेयक में यह नहीं बताया गया है कि जिन्हें विस्थापित किया जाएगा उनकी क्या स्थिति होगी । ऐसी बात कानून में नहीं आ सकती परन्तु वैकल्पिक स्थान देने की हमारी घोषित नीति है ।

श्री शशि भूषण ने ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख किया था जिन्होंने भूमि पर मकान बना रखे हैं । हम समझते हैं कि ऐसी समस्या के समाधान के लिए नगरीय भूमि नीति बनाई जानी चाहिए । इसके अन्तर्गत नगर के पास की सम्पूर्ण भूमि मकान बनाने के सामाजिक प्रयोजन के लिए अर्जित की जाती है । दिल्ली में लगभग 34,000 एकड़ भूमि अर्जित करने का आदेश जारी किया गया था परन्तु कुछ लोगों ने बिना पर्याप्त प्राधिकार के भूमि बेच दी है ।

भूमि की बिक्री के मामले में बहुत गड़बड़ हुई है । इसमें एक प्रकार का घोटाला चल रहा है । लोग अनधिकृत तरीके से जमीन खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं । हमें सभी ऐसे मामलों को ठीक करना होगा और गड़बड़ को रोकना होगा । समाज के निर्धन वर्ग को आवास सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करनी होगी । अतः जहाँ आवश्यक हो कठोर कार्यवाही भी करनी होगी । 1962 से पहले की बनी कालोनियों को यदि वे मास्टर प्लान के अनुसार हैं, हम बदलना नहीं चाहते और हमने उनमें से अनेक कालोनियों को पास कर दिया है ।

इस समय हमारे समक्ष दो प्रकार की समस्या हैं । एक तो उन कालोनियों के बारे में है जो कृषि आदि के क्षेत्र बन गई हैं और दूसरी उनके बारे में जोकि अब बनती जा रही हैं । नीति निर्धारित करते समय इन समस्याओं का ध्यान करना होगा । मैं इस समय यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि सरकार अनधिकृत रूप से बन रही कालोनियों को सख्ती से रोकना चाहती है । साथ ही हमें नगरों में आवास सुविधाओं को बढ़ाना होगा । आजकल लोग नगरों में रोजगार की तलाश में बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी आवास समस्या बहुत गम्भीर रूप में बनी हुई है । आजकल लगभग 8 करोड़ लोग बिना मकान के हैं । इसीलिए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की जगह देने को प्राथमिकता देने का निर्णय किया है । हमें हरिजनों और समाज के अन्य निम्न वर्गों को पहले सुविधाएँ उपलब्ध करनी हैं । हमने राज्यों से भी कार्यवाही करने का अनुरोध किया है । इस संबंध में बड़े पैमाने पर कार्यवाही करनी होगी । केन्द्रीय सरकार राज्यों को अधिक सहायता देने पर भी विचार कर रही है ।

कुछ समय पूर्व राज्यों के आवास मंत्रियों ने अपने सम्मेलन में विचार किया था कि प्रत्येक राज्य के एक-एक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने की योजना लागू की जाये । इस पर आगे विचार हो रहा है ।

सरकार अपने कर्मचारियों को मकान-निमार्ण हेतु उदार दरों पर ऋण देती है ताकि वे अपने रहने के लिए मकान बना सकें। सरकारी कर्मचारियों को ऋण के रूप में दी जाने वाली राशि बढ़ाई जा रही है। पेंशनभोगियों के लिए विशेष सुविधाएँ उपलब्ध की जाये इसके लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

निम्न आय वाले वर्ग को राजसहायता दी जाती है। मध्यम आय वालों को कम राजसहायता से प्लाट या फ्लैट दिये जाते हैं। एक नये प्रकार के मकान बनाये जा रहे हैं। जिनकी आय 250 रु० से कम है, उनके लिए 'जनता वर्ग' बनाया गया है। यह मकान बहुत कम कीमत पर दिये जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि लोग धार्मिक स्थान के बहाने सरकारी भूमि पर कब्जा कर लेते हैं, यह अनुचित है। यदि इस बारे में सरकार कड़ी कार्यवाही करती है तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री एस० एन० सिंह ने कहा है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर में आने के लिए बहुत दूर से आना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम सेक्रेटेरियट के निकट निम्न आय वाले कर्मचारियों के लिए मकान बना रहे हैं। दिल्ली के मास्टर प्लान में भी एक मुख्य सिफारिश इस बारे में है।

सरकारी क्वार्टरों के बारे में हमने निर्णय किया है कि जो व्यक्ति जिस वर्ग के मकान का अधिकारी है, उसे उसी वर्ग का क्वार्टर दिया जाये और यदि वह निम्न आय वाले वर्ग के क्वार्टर में है तो उसे वह खाली करके अपने अधिकार वाले वर्ग में जाना होगा।

सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के लिए वचनबद्ध है परन्तु इस बारे में पहले कुछ कानूनी कार्यवाही करनी होगी। राज्य सरकारों को भी कार्यवाही करनी होगी। केन्द्रीय मंत्री ने राज्यों को पत्र लिखा है कि आवश्यक कार्यवाही करें ताकि शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लगायी जा सके।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक परिसरों से अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली तथा कतिपय आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2—परिभाषाएँ

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 2 को लेते हैं।

श्री अमरनाथ चावला : मैं संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री शशि भूषण : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री आर० वी० बड़े : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ।

SHRI AMAR NATH CHAWLA : Sir, the aim of my amendment is that the land leased out in Delhi on 99 years' lease (permanent lease) shall not be treated as public premises. Government has already got the authority to revise the ground rent after every 10 or 20 years.

श्री आई० के० गुजराल : मुझे खेद है कि मैं इनका संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता। मकान बनाने के लिए दिये जाने वाले प्लाटों को दुकानें बनाने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। यह बात पट्टे पर दिये जाने वाले प्लाटों पर भी लागू होती है।

हाल ही में लोक लेखा समिति ने भी इस पर अपनी सिफारिश दी थी। हमने एक भूमि प्रबन्ध समिति का गठन किया है। यह पट्टे वाले प्लाटों और भूमि तथा विकास कार्यालय के कार्य पर विचार करेगी। हम पट्टेधारियों को किसी प्रकार से परशान नहीं करना चाहते। जब सरकारी नियम का उल्लंघन हो तो हमें कार्यवाही करनी ही पड़ती है।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi) : Sir, this will be beneficial to the rich and harmful to the poor people. You take the case of Birla House. It is being used as a commercial office, though on paper it is for residential use. Government should not treat poor people and rich people alike. The poor people should be shown some sympathy. I request that my amendment may be accepted.

श्री आर० वी० बड़े : गरीब लोगों की परिभाषा क्या है? मैं चाहता हूँ कि जब एक स्थानीय निकाय ने 99 वर्ष के लिए एक प्लाट पट्टे पर दिया है, तो क्या सरकार उसे उस समय खाली करायेगी जब पट्टेधारी ने उस पर मकान बना लिया हो?

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : क्या यह अधिनियम उन भूतपूर्व संसद सदस्यों पर भी लागू होगा जिन्होंने अभी तक अपने फ्लैट खाली नहीं किये हैं और अनधिकृत रूप से कब्जा किये हुए हैं। अगर हाँ, तो आप इसके लिए कब क्या कदम उठायेंगे?

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : It is difficult to understand as to why the whole of the lease land is being brought within the ambit of this Bill. If any person uses a residential plot of land for commercial purposes, then it is a case of violation of the lease deed and in such cases the Government can take the matter to the court for eviction of occupants of the land.

SHRI I. K. GUJRAL : There are two types of leasehold plots—one for residential purposes and the other for commercial purposes. If any person violates the lease deed conditions, action is to be taken against him under this Act.

It is not the intention of the Government to use this Act to get back the land given by the Municipal Corporation on lease for 99 years. Only the leasing authority would use the provisions of this Act. If the Delhi Municipal Corporation or the D. D. A. has given any land on lease and the conditions of lease deed are violated, then the Delhi Municipal Corporation or the D. D. A. will take action under this Act.

Reference has been made to the Ex-M. Ps. who have not yet vacated the flats allotted to them when they were Members. We have been facing a lot of difficulty on that account for sometime past. It is hoped that the Ex-M. Ps. who have not yet vacated the

flats would themselves realise their responsibility and vacate the flats. But if they do not do so, and if the House so desired, we will not hesitate to take action under this law.

There is an amendment to give effect to the provision of this Bill from today. This legislation was enacted in 1958 and was struck down by the court later on. During this period some persons were evicted under this law. If this Bill is not given retrospective effect these persons can re-occupy the land. This Bill is, therefore, being given retrospective effect to cover this period.

श्री अमरनाथ चावला : मैं संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

SHRI SHASHI BHUSHAN : In view of the assurance by the hon. Minister, I beg leave to withdraw the amendment.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।
The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री आर० वी० बड़े : मैं अपने संशोधन पर विभाजन चाहता हूँ ।

सभापति महोदय : मैं 'संशोधन संख्या 6' सभा के मतदान के लिए रखता हूँ ।

संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।
The amendment was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड — 3

सभापति महोदय : अब खण्ड 3 पर विचार आरम्भ होगा ।

श्री शशि भूषण : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ ।

SHRI SHASHI BHUSHAN : The Government should exempt plots of 300 sq. yards or less area from the application of this Bill. The Government have already given many concessions. They should give some more concessions to small plot-holders. It has been said that colonies built upto 1962 have been authorised, but in this Bill, there is reference to 1958.

SHRI I. K. GUJRAL : All our policies are basically to help the poor people. But we cannot decide as to who is rich or poor on the basis of the size of the plot. In Delhi, even a plot of 300 sq. yards may cost a lot. We will make use of this Bill, when a person uses the land for those puposes which do not fit in with social objectives.

The unauthorised colonies which were built before 1962 and which can be fitted within the Master Plan will be regularised. But it will be difficult to regularise the colonies being built now on Government land which is to be used for building houses to help the poor people.

SHRI SHASHI BHUSHAN : I want to withdraw my amendment in view of the assurance by the hon. Minister.

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।"

That Clause 3 stand part of the Bill.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3 was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 और 5 विधेयक का अंग बने ।"

That clause 4 and 5 stand part of the Bill.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 4 और 5 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 and 5 were added to the Bill.

नया खण्ड—5 क

SHRI AMAR NATH CHAWLA (Delhi Sadar) : Mr. Chairman, I beg to move that at page 3, after line 48, following new clause 5 A may be added :

"5A. Notwithstanding anything contained in this Act, the lessees who have already constracted buildings on the lands leased out to them on temporary basis prior to the year 1947 shall not be evicted under the provisions of this Act."

There are thousands of poor people who constructed houses by selling their ornaments and other personal belongings after obtaining permissions from the concerned authorities. Some of them are there for 70 to 90 years. They should not be considered unauthorised occupants They are temporary lessees. It depends on the sweet will of the authorities whether to extend the term or not, I will appeal to the hon. Minister that such unauthorised colonies, temporary leases in Sadar Bazar, Pahari Dhiraj ete. should be regularised if they do not come into conflict with the Master Plan. However, a premium taking 1947 as base may be charged from them.

श्री आई० के० गुजराल : मैं वचन देता हूँ कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूँगा। हम लोगों को अनावश्यक रूप में विस्थापित नहीं करना चाहते हैं। ऐसे मामले मेरे ध्यान में लाये जाएँ तो मैं उनपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूँगा।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 से 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 से 20 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 6 to 20 were added to the Bill.

खण्ड 1

श्री शशि भूषण (दक्षिण दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

I want that officers committed to the public and socialism should be appointed for the purpose and they should have an experience of 10 years besides knowledge of the laws.

SHRI I. K. GUJRAL : While appointing an Estate Officer we do take care that the person is well conversant with the laws. But it may be difficult always to find a person with ten years' experience. I assure the hon. Member that this law will be used for the benefit of the poor and not against them. Only such persons who have no right on the land occupied will be evicted. The officers will be committed to the law, which is essential for the dispensation of justice.

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

The amendment was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

The Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री आई० के० गुजराल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी विधेयक

IRTERNATIONAL AIRPORTS AUTHORITY BILL

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि उन कतिपय हवाई अड्डों के जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवायें चलाई जाती हैं या जो चलाये जाने के लिए आज्ञयित हैं, प्रबन्ध के लिए एक प्राधिकार के गठन का तथा उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

गत बीस वर्षों में विमान औद्योगिकी में क्रांति आई है । आज विश्व में लगभग 3-4 करोड़ व्यक्ति विमानों से यात्रा करते हैं तथा विमान यात्रा के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास हो रहा है । भारत जैसे बड़े आकार और महत्व के राष्ट्र के लिए यह आवश्यक है कि उसके विमान पत्तन उच्चतम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हों । मेरा अनुभव है कि नागर विमानन के विकास के साथ-साथ अपने विमान पत्तनों को उनके अनुकूल बनाने की समस्या अन्य राष्ट्रों के सामने भी आ रही है । जम्बो विमानों का युग आ गया है और ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार वाले विमान भी आने वाले हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए 1967 में इस मंत्रालय का भार ग्रहण करते ही मैंने अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों संबंधी सभी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन समिति बनाई थी, जिसने अत्यन्त महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं ।

हमारे सामने समस्या यह है कि इन अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों को चलाने के लिए किस

प्रकार का प्रशासन उपयुक्त है। समिति के विचार में नियमों और विनियमों की तथा अन्य सीमाओं से बँधा सरकारी विभाग निरन्तर परिवर्तनशील समस्याओं का सामना नहीं कर सकता।

इस समिति की सिफारिशों पर गहन रूप में विचार करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि हमारे चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के लिए एक संविहित प्राधिकार ही सर्वोत्तम होगा। अन्य देशों में भी जहाँ विमान पत्तनों का हाल में विकास हुआ है, इनके लिये स्वायत्तशासी निकाय बनाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों में बहुत सा विनियोजन करने की हमारी योजना है। चालू योजना में 37 करोड़ रुपए की व्यवस्था है और पाँचवीं योजना में इसके काफी अधिक होने की संभावना है। इसी उद्देश्य से यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री शिवनाथ सिंह (झुनझुनु) : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को उस पर 29 अक्तूबर, 1971 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाये।"

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नागर विमानन के विकास के लिए एक पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। इस विचार से मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, परन्तु इसके बारे में मेरे कुछ सुझाव हैं।

खण्ड 3 में कहा गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा। मेरे विचार में इसका चुनाव संसद् द्वारा किया जाना अधिक लोकतंत्रीय होगा अन्यथा नौकरशाही का बोलबाला रहेगा।

सभापति की नियुक्ति सरकार द्वारा नहीं की जानी चाहिए बल्कि प्राधिकारी के सदस्यों द्वारा की जानी चाहिए जैसा कि अन्य संगठनों में किया जाता है। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि सभापति की अस्थायी अनुपस्थिति में इसकी ओर से कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करना गलत बात होगी। हमें किसी व्यक्ति को एतदर्थ नियुक्त कर देना चाहिए जिसे हम उप-सभापति या अन्य ऐसे ही किसी नाम से पुकार सकते हैं और ऐसा करने पर इस समिति का संचालन करना आसान रहेगा।

जिन कर्मचारियों को उसमें नियुक्त किया जाये, उनकी पदोन्नति आदि के संबंध में कुछ गारन्टी होनी चाहिए तथा उनकी सेवा संबंधी विशेष नियम बनाये जायँ।

विधेयक के खण्ड 12 (4) में कार्मिक संघ-अधिकार के बारे में कोई गारन्टी नहीं दी गई है। सरकार को उनके इस अधिकार को छीनना नहीं चाहिए।

खण्ड 17 (ख) तथा (ग) के अधीन उनसे अतिरिक्त राशि ली जा रही है। जब यात्री किराया है तो भोजन तथा अन्य चीजों के लिए ये फीस क्यों ली जा रही है? मेरी राय में यह यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ है। इस खण्ड का लोप किया जाना चाहिए।

डा० कैलास (बम्बई दक्षिण) : मैं अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारी विधेयक का स्वागत करता हूँ।

भारत के पास आधुनिक तथा सुविधाजनक हवाई पत्तन अवश्य होने चाहिए और उनके रख-रखाव के लिए काफी अच्छी व्यवस्था भी जरूरी है। आज भारत में 10 हवाई पत्तन हैं और चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में स्थित हैं। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इमारतों, उपकरणों और यात्री तथा माल यातायात तथा ऐसे अन्य सम्बद्ध मामलों से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित करने तथा उसके बारे में सरकार को सलाह देने के लिए इस प्राधिकार का गठन किया जा रहा है। किन्तु यदि हम इस प्राधिकार का अध्यक्ष किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करें जिसे इस प्राधिकार को चलाने का पर्याप्त ज्ञान न हो अथवा वित्तीय मामलों की जानकारी न हो अथवा जो इसे वांछनीय तथा अपेक्षित ढंग से न चला सके, तो उस स्थिति में ऐसे प्राधिकार का निर्माण करने का सम्पूर्ण उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। मेरा मतलब इससे किसी पर आक्षेप करने का नहीं है। मेरा अभिप्राय केवल इतना है कि इस पद के लिए आई० ए० एस० या आई० सी० एस० अधिकारी की नियुक्ति न करके ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाये जिसका हमारे अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास में पूर्ण विश्वास हो।

खण्ड (3) की उपधारा (3) में 13 सदस्यों की व्यवस्था है। मेरा सुझाव है कि इससे व्यय बहुत अधिक बढ़ जायेगा। अतः 13 के बदले 9 सदस्य होने चाहिए। इसके अलावा अंशकालिक अधिकारी अथवा अंशकालिक सदस्यों की व्यवस्था संबंधी खण्ड का लोप किया जाना चाहिए क्योंकि इससे संस्था के सम्पूर्ण कार्य में गड़बड़ पैदा हो जाती है। यदि आरम्भ में इसे किसी कारणवश आवश्यक भी समझा जाये, तो थोड़े समय बाद इसे पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए।

खण्ड (3) के उप खण्ड (6) में कहा गया है कि—

"अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति में केन्द्रीय सरकार किसी अन्य व्यक्ति को, जो पूर्णकालिक सदस्य हो, सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगी।"

...... यदि इन शब्दों का लोप कर दिया जाये, तो सरकार दूसरे अध्यक्ष को नियुक्त करने तक अथवा सभापति की अनुपस्थिति के दौरान किसी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए न चुन सकेगी।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्तुत विधेयक का स्वागत करता हूँ। इस विधेयक की क्रियान्विति पर अनुमानतः 106·12 करोड़ रुपये व्यय होगा। उसका अन्तिम चरण छठी पंचवर्षीय योजना में पूरा होगा।

विधेयक खण्ड 12 (4) में कहा गया है :

"औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन किसी कर्मचारी का अपनी सेवा

में आभेलन ऐसे कर्मचारी को उस अधिनियम या अन्य विधि के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनायेगा और ऐसा कोई भी दावा किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा।"

इसका अर्थ यह है कि इस खण्ड के कारण कर्मचारी का कोई विशेष दावा नहीं होगा, यह खण्ड कर्मचारियों के लिये घातक है अत: इसका लोप किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उस पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। निदेशक बोर्ड को अध्यक्ष निर्वाचित करने का प्राधिकार दिया जाना चाहिए। अन्यथा सरकार इस पद पर किसी भी पराजित राजनीतिज्ञ को इस निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। एक बार बोर्ड समुचित रूप से निर्वाचित तथा गठित हो जाने पर बोर्ड की इच्छानुसार अध्यक्ष निर्वाचित किया जाना चाहिए।

देश में अन्य हवाई पत्तनों को भी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों के रूप में विकसित करने के लिये सरकार को समुचित कदम उठाने चाहिए।

SHRI SHASHI BHUSHAN (Delhi-South) : I welcome the measure to set up the International Airports Authority. It is gratifying that bureaucracy will not be able to meddle with the administration of the proposed body.

Generally, with the setting up of new establishment, the interests of old experienced technical personnel are ignored and new hands are sometimes, brought in. Such experienced staff should not suffer in any way.

The directors should be committed to the public cause. Government officials who are on the verge of retirement should not be appointed as members of the Authority. Only those Government officials who have at least 5 to 10 years service left should be appointed as members.

The representatives of Airport Employees and also those of pilots and engineers should also be included in the Airports Authority.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Gwalior) : The International Airports Authority will be an autonomous body. It will be necessary to ensure that this body functions effectively under the control of Parliament. Many new autonomous bodies are coming into being. It is becoming more and more difficult to have parlimentary control over them. Steps should be taken to strike a balance between autonomy of such bodies and their accountability to Parliament.

All the Members of the Airports Authority will be nominated by the Government. Then where is the necessity for making a provision for disqualification in clause 4 which says :

> "A person shall be disqualified for being appointed as a member if he—(a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or (b) is an undischarged insolvent..."

The Government have to take care to appoint suitable persons as members. Such a provision should not be made in the Bill.

International air traffic is increasing at a great speed. But the system of taking off the luggage at the international airports is the same old one. There is need to improve this service so that it does not take long time to take off the luggage.

The condition of our aerodromes is pitiable. Something should be done to improve them. In case the hon. Minister comes with a proposal I don't think Parliament will reject it.

I want this Authority to work effectively so that we may feel proud of it.

SHRI N. K. SINHA (Muzaffarpur) : I am happy that our country has four aerodromes of international level and persistent efforts are being made to develop them.

[डा० सरदीश राय पीठासीन हुए
DR. SARADISH ROY *in the Chair*]

I feel that an autonomous body should be appointed for this purpose. The Government rules, financial rules and departmental rules are so strict that many things are not done when they are wanted. But many things are set right by autonomous bodies. The question of relations between the autonomous bodies and Parliament has not to be solved even at international level but the international consensus is that the concern of Parliament should be only regarding policy matters and it should not interfere in day to day matters. The day to day matters should be dealt with by autonomous bodies.

An employee who wants to opt out from this corporation should not be punished in such a way that he is deprived of the facilities available to him under Industrial Disputes Act. The hon. Minister should take into consideration this point.

Two suggestions have been given. One is that the Members of the Authority should be elected by the Parliament and the other is that the elected Members should be allowed to elect their chairman. I oppose this idea. The point to give right to elect the president to the Authority which consists of Members elected by the Government has not appealed me at all.

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : यह बात ठीक ही कही गई है कि विमान से यात्रा करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी पहुँच सकते हैं परन्तु हवाई अड्डे से सामान निकलवा कर घर पहुँचने में अधिक समय लगता है। मैं समझता हूँ कि जब तक इस संबंध में उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक विमान से यात्रा करना ही ठीक नहीं, क्योंकि विमान से यात्रा करने का उद्देश्य तो समय की बचत करना होता है।

खण्ड 3 और उप-खण्ड 3 (ग) के अन्तर्गत सरकार को 6 से 13 व्यक्तियों को सदस्य नियुक्त करना है परन्तु उसमें यह नहीं बताया गया है कि वे सदस्य कौन व्यक्ति होंगे। मैं समझता हूँ कि उनमें कम से कम दो संसद सदस्य भी होने चाहिए ताकि वे सारे मामले की सरकार को जानकारी दे सकें।

जब से माननीय मंत्री ने इस विभाग के कार्यभार की डोर अपने हाथ में ली है तब से हवाई अड्डों पर काफी सुधार हुआ है, विशेषकर दिल्ली में। परन्तु अभी भी बहुत सुधार की गुंजाइश है। मुझे अन्य देशों की भी यात्रा करने का अवसर मिला है और मैंने देखा है कि वहाँ के हवाई अड्डों की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। बर्लिन और ब्रसेल्स के हवाई अड्डे देखने से पता

चल सकता है कि वहाँ पर कितनी अधिक सुविधायें उपलब्ध हैं । अत: हमें भी अपने हवाई अड्डों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक उठा लेना चाहिए । तब बहुत से विदेशी हमारे देश की यात्रा करने और यहाँ के दृश्य देखने आया करेंगे । उससे हमारी विदेशी मुद्रा में भी वृद्धि होगी ।

श्री जदेजा (जामनगर) : पहले जो समिति बनाई गई थी उसके सदस्य बहुत कम थे । उसने बहुत सी अच्छी सिफारिशें की थीं परन्तु सरकार ने उनका निर्णय करने में बहुत समय लगा दिया और कुछ ही सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया । अत: मेरा अनुरोध है कि एक तो सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और दूसरे जो सदस्यों द्वारा सुझाव दिए जाएँ उनपर विचार किया जाए । अन्य संबंधित विभाग के लोगों को भी इस समिति में शामिल किया जाना चाहिए ।

विधेयक में बताया गया है कि निगम चार हवाई अड्डों को अपने अधिकार में लेगा । मेरा यह सुझाव है कि अधिकरण को अहमदाबाद या जामनगर दोनों में से किसी एक हवाई अड्डे को अपने अधिकार में लेना चाहिए ताकि हम एक और अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पूर्ति कर सक जो हमने कराची के चले जाने से खोया था ।

मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ कि समिति के सदस्य और सभापति को बोर्ड चुने । उन्हें योग्यता, ना कि मतों के आधार पर चुना जाना चाहिए ।

इस संगठन को जो अपने अधिकार में चार हवाई अड्डों को ले रहा है, अच्छा काम करके दिखाना चाहिए । उसे पूर्व समितियों द्वारा दिये गए सुझावों पर भी विचार करना चाहिए ।

SHRI SHIVNATH SINGH (Jhunjhunu) : The hon. Members are well aware how the Authorities set up so far have functioned. So far we have been against the setting up of these Authorities. We want that if autonomous bodies are set up they should function properly. There should be some control over these Authorities so that they may not function arbitrarily.

I think that we should not take hurried decision over this Bill. It will not make any difference if this Bill is passed after one month. Before we pass it we should elicit public opinion.

In the constitution of the Authority there is no representation of employees. In this connection I would like to submit that the employees of Civil Aviation also have enough experience. Their experience count a lot. Hence they should also be included in the Authority, They will give suggestions for the betterment of this institution.

Under clause 23 (1) and (2) all the powers have been conferred on the Authority. But from the experience of Indian Airlines Corporation we have learnt that it is now running into loss while it was earning a profit when it was in private hands. They have also been empowered to borrow money and in the other sub-clause Government has taken the responsibility of this money over it. It is not good.

I would also like to submit that persons having faith in socialism and committed to public should be appointed in this Authority. They will raise the standard of this institution.

The colonies meant for the employees working in aerodromes should be near their institutions.

The proposed Authority should not be given complete autonomy. Its decisions should be subject to revision by the Government and the Parliament should have the power to give directives to the Authority. A provision to this effect should be made in the Bill.

डा० कर्ण सिंह : इस वादविवाद के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये गये हैं। मैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा।

श्री देव ने सुझाव दिया है कि बोर्ड संसद द्वारा निर्वाचित हो। मेरे विचार में यह संभव नहीं है। आखिरकार सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है और संसद स्वयं सरकार को ही किसी समय पदच्युत कर सकती है।

कई अन्य सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार में सभी शक्तियों के केन्द्रीकरण पर आपत्ति की है। यह इसलिये है क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो संघ सूची में आता है और संविधान के अधीन इसके लिये भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अत: आवश्यक निदेश देने तथा महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ करने का भारत सरकार का जो प्राधिकार है, उसे कायम रखा जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाये रखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यदि उत्तरदायित्व को बहुत ही अधिक महत्व दे दिया जाता है, तो सरकारी क्षेत्र के निगम मुक्त रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं और दूसरी ओर गैर-जिम्मेदारी भी नहीं होनी चाहिये। अन्ततः संसद की प्रभुसत्ता सर्वोपरि है और इसलिए सरकार तथा सरकारी क्षेत्र के निगम संसद के प्रति उत्तरदायी होने चाहिए। इसीलिए यह उपबंध किया गया है कि यद्यपि यह एक स्वायत्त निगम होगा तथापि इसके प्रतिवेदन संसद के समक्ष रखे जाया करेंगे और सरकार आयव्ययक की मंजूरी दिया करेगी।

खण्ड 12 (4) के बारे में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि ये कर्मचारी इस समय सिविल विमानन विभाग के सदस्य हैं। स्पष्ट है कि इन्हीं कर्मचारियों में से निगम के लिए कर्मचारियों का चयन किया जायेगा। किसी कर्मचारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध निगम में नहीं भेजा जायेगा। यह उनकी स्वेच्छा पर निर्भर करेगा। किन्तु एक बार निगम की सेवा में आमेलित हो जाने पर, कर्मचारियों को नई सेवा-शर्तों के अन्तर्गत सभी लाभ प्राप्त होंगे और उनके हितों का पूरा पूरा ध्यान रखा जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं याद दिला दूँ कि जब भारतीय खाद्य निगम में कर्मचारियों का तबादला किया गया था, उस समय उनके हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक विधेयक लाया गया था।

डा० कर्ण सिंह : हम उनके हितों की अवश्यमेव रक्षा सुनिश्चित करेंगे। उनके हितों को कुप्रभावित करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। एक बार निगम की सेवा में आ जाने पर, कर्मचारियों को व्यवसाय संघ के वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जिनके वे अधिकारी होंगे और उन्हें

इस संबंध में संगत विधियों के अधीन पूरी सुरक्षा मिलेगी। यह उपबंध तो केवल इसलिये किया गया है ताकि इस संबंध में किसी शंका या दोहरेपन की कोई गुंजाइश न रहे। मेरे विचार में निगम की सेवा में इन कर्मचारियों को उन्नति के अधिक अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

मेरे माननीय मित्र, श्री दशरथ देव ने फ़ीस भाटक आदि प्रभारित करने की प्राधिकारी की शक्ति पर जो आपत्ति की है उसके संबंध में यह बता देना चाहता हूँ कि वास्तव में ये प्रभार विश्व भर में आय का एक मुख्य स्रोत हैं। प्राधिकारी वायुयानों के उतारने पर तथा विभिन्न प्रकार की अन्य फीस प्रभारित कर सकेगा। इसके अतिरिक्त, वह पुस्तकों की दुकानों, नाई की दुकानों, टैक्सी स्टैण्डों आदि को वाणिज्यिक आधार पर चला सकेगा। वास्तव में इस विधान का एक उद्देश्य विमानपत्तनों को वाणिज्यिक रूप से विकासक्षम बनाने का है। यह शक्ति तो प्राधिकारी के पास रहेगी किन्तु प्रभारों की दरें असामान्य नहीं होंगी।

डा० कैलास और अन्य सदस्यों ने चार अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों में और पत्तनों की वृद्धि करने की बात का उल्लेख किया। इस संबंध में यह बता दिया जाये कि अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा कुछ अन्य विमान पत्तनों से भी चालू है। उदाहरणार्थ, अमृतसर से काबुल, वाराणसी तथा पटना से नेपाल और त्रिवेन्द्रम तथा तिरुचिरापल्लि से श्रीलंका के बीच विमान सेवा की व्यवस्था है। किन्तु यह विधेयक अभी चार बड़े हवाई अड्डों पर ही लागू होगा और बाद में, यदि उचित समझा गया, तो अन्य विमान पत्तनों को भी इनमें शामिल कर लिया जायेगा।

मेरे माननीय सदस्य, श्री एस० एन० सिंह, डा० कैलास तथा अन्य सदस्यों ने निगम के अध्यक्ष तथा सदस्यों के चयन के बारे में सावधानी बरतने की बात कही है। एक ऐसे नये निगम के लिए, जिसने नये रूप से कार्य प्रणाली निर्धारित करनी है, अध्यक्ष का चुनाव बड़ी सावधानी से करना होगा। यह कहना उचित नहीं है कि भारतीय प्रशासन सेवा के सभी व्यक्ति सरकारी क्षेत्र के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे। आखिरकार भारतीय प्रशासन सेवा के लोगों की भर्ती हमारे में से ही की जाती है और वे हमारी तरह युवक होते हैं और कार्य कर सकते हैं। किसी वर्ग विशेष को इस प्रकार निकाल देना उचित नहीं होगा। मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने निर्णय किया है कि सरकार के सचिवों को बोर्ड में नियुक्त नहीं किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य ने बोर्ड के सदस्यों की इतनी अधिक संख्या के बारे में आपत्ति की है। बोर्ड में चारों अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तनों के अध्यक्षों के अतिरिक्त, इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया, वायु सेना, सिविल विमानन के महानिदेशक, जो पदेन सदस्य होगा, वित्त मंत्रालय और पर्यटन के भी प्रतिनिधि होंगे। इस मामले में हम कुछ लचीलापन चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बोर्ड में सभी हितों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसीलिए हमने कहा है कि 6 से अन्यून और 13 से अनधिक सदस्य होंगे और इस प्रकार अध्यक्ष को मिलाकर कुल 14 सदस्य होंगे जिनमें से अधिकांशतः अल्पकालिक सदस्य होंगे। अध्यक्ष तथा सदस्यों का चयन करते समय उन सभी बातों को, जिनका सभा में उल्लेख किया गया है, ध्यान में रखा जायेगा।

श्री एस० एम० बनर्जी : मज़दूरों के प्रतिनिधान के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

डा० कर्ण सिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन रहा है। इस संबंध में सरकार तथा मज़दूरों ने कुछ मान निश्चित किये हैं और हम उनका पूर्णतया पालन करेंगे। व्यक्तिगत

रूप से तो मैं चाहता हूं कि कर्मचारियों का एक प्रतिनिधि हो। परन्तु मैं इस संबंध में कोई आश्वासन नहीं देना चाहता हूँ।

SHRI SHASHI BHUSHAN (South Delhi): Workers have been represented in the mangement of L. I. C.; Hindustan Steel Ltd. is also going to have a representative of workers in its management; our Government is committed to this policy; but you cannot even give an assurance?

डा० कर्णसिंह : इसीलिए तो मैंने कहा है कि मैं इस मामले की अच्छी तरह छानबीन करूँगा और यदि कोई कठिनाई सामने न आयी, तो मजदूरों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

SHRI S. N. SINGH: It makes no difference if out of 16 members, one belongs to the workers.

DR. KARAN SINGH: Yes, it makes no difference.

मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अध्यक्ष केवल बैठक की अध्यक्षता करने के लिये ही नहीं होगा परन्तु उसका कानूनी प्रयोजन के लिए भी होना जरूरी है। विधेयक के खण्ड 3 (6) में यह उपबन्ध है कि अध्यक्ष की अस्थाई रूप से अनुपस्थिति में किसी भी वरिष्ठ सदस्य को, चाहे वह अल्पकालिक सदस्य ही क्यों न हो, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष का न होना एक कानूनी त्रुटि होगी।

सर्व श्री एस० एम० बनर्जी तथा अटल बिहारी वाजपेयी ने कानपुर अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन के बारे में प्रतिकूल टिप्पणियाँ की हैं। इस मामले में मैं उनसे सहमत हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार वहाँ विकास कार्य आरम्भ होने जा रहा है। इस वादविवाद के पूरा होने पर मैं भी तुरन्त वहाँ जाऊँगा और सुनिश्चित करूँगा कि कानपुर को प्राथमिकता दी जाये।

श्री शशि भूषण ने निदेशकों से बारे में प्रश्न उठाया है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि निदेशक ऐसे होने चाहिये जो सरकार की नीति के प्रति वचनबद्ध हों।

श्री वाजपेयी ने स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के संबंध की बुनियादी समस्या को उठाया है। टाटा समिति ने सिफारिश की थी कि यह एक स्टाक कम्पनी होनी चाहिये, परन्तु सरकार द्वारा इसे संसद के कानून के अन्तर्गत बनाया जा रहा है। इस प्रकार संसद को इसके संगठन आदि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। इसीलिए हमने इसको टाटा समिति की सिफारिश के विपरीत किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने माल के पहुँचाने में विलम्ब होने की शिकायत की है। इसमें वास्तविक बात यह है माल के पहुँचाने में देरी नहीं होती बल्कि अब विमान बहुत शीघ्रता से अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने लगे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि माल शीघ्रता से पहुँचाने की व्यवस्था की जाये।

डा० मेलकोटे ने हवाई अड्डों पर की बिल्डिंगों के बारे में कहा है कि यूरोप में यह बहुत भव्य भवन है। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हम उनका आँखें मूंदकर अनुसरण नहीं करना

चाहते । हमें यहाँ के वातावरण और परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना है । एक औसत विमान की आयु 10 वर्ष होती है । दस वर्षों के बाद नई प्रकार के विमान प्रयोग में आने लगते हैं । ऐसे होते हुए भी हवाई अड्डे के भवन को आगामी 100 वर्षों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है । अपने संसाधनों को भी ध्यान में रखना पड़ता है । हम इस बारे में देशी तथा विदेशी वस्तुकला का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहते हैं । जैसे चन्डीगढ़ नगर के मामले में हमने नई नींव रखी है उसी प्रकार हवाई अड्डों के भवनों के मामले में भी किया जायेगा ।

नागर विमानन विभाग को दो भागों में बाँट कर इस प्राधिकरण की स्थापना की जायेगी, उसके बाद ब्यौरे के मामलों को निपटाने में लगभग 8 महीने लग जायेंगे । मेरे विचार में नया प्राधिकरण 1 जनवरी, 1972 से कार्य आरंभ करेगा । अतः इस विधेयक को परिचालित करना ठीक नहीं है ।

यह बात सही नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रम घाटे से चल रहे हैं । एयर इंडिया 1953 से, जबकि इसका गठन किया गया था, लाभ से चल रहा है । विश्व की किसी अन्य विमान कम्पनी ने ऐसा नहीं किया है । इन्डियन एयरलाइन्स ने गत दो वर्षों में लाभ दिखाया है ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों के लिए मकानों की व्यवस्था करने की माँग की है, मैं मानता हूँ कि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है । हवाई अड्डों पर काम करने वाले कर्मचारियों को कठिनाई है । मैंने अपने अधिकारियों को कहा है कि रहने के मकानों के बनाने पर विशेष ध्यान दें ।

SHRI SHASHI BHUSHAN : The employees of Customs Department and employees of other departments who have to be on duty at airports should also be provided accommodation.

DR. KARAN SINGH : We will certainly do something for those who have to be on duty at airports. We want to remove their difficulty.

श्री शिवनाथ सिंह : मैं अपना संशोधन वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The motion was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि उन कतिपय हवाई अड्डों के, जिन पर अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन सेवायें चलाई जाती हैं या जो चलाये जाने के लिए आशयित हैं, प्रबन्ध के लिये एक प्राधिकारी के गठन का तथा उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2

सभापति महोदय : खण्ड 2 का कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक मे जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 (प्राधिकार का गठन)

डा० कर्णसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 3, पक्ति 4, —

'एक अन्य व्यक्ति, जो पूरे समय का सदस्य हो' [another person being a whole time member] के स्थान पर 'एक अन्य सदस्य' [another member] प्रतिस्थापित किया जाये।"

यह एक साधारण संशोधन है। मुझे खेद है कि यह बात पहले हमारे ध्यान में नहीं आयी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 4, —

'एक अन्य व्यक्ति, जो पूरे समय का सदस्य हो' [another person being a whole-time member] के स्थान पर 'एक अन्य सदस्य' [another member] प्रतिस्थापित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 3 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया :

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 से 41 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड से 41 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 4 to 41 were added to the Bill.

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 1, the enacting formula and the Title were added to the Bili.

डा० कर्ण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 2 अगस्त, 1971/10 श्रावण, 1893 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Monday, August 2, 1971/Sravana 11, 1893 (Saka).

New India Printing Press, Khurja